Con. 3. IX-11.49
320

अंक 9
संख्या 11

शुक्रवार
12 अगस्त
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

संविधान का मसौदा—*(जारी)*

[अनुच्छेद 5 और 6 पर विचार] 593–648

भारतीय संविधान सभा

शुक्रवार, 12 अगस्त सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान-सभा, कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे अध्यक्ष महोदय, (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा—*(जारी)*

अनुच्छेद 5 से 6—*(जारी)*

***सरदार भूपेन्द्रसिंह मान** (पूर्वी पंजाबः सिख): श्रीमान, नागरिकता की परिभाषा में, जो कि काफी विस्तृत है, मस्विदा-समिति ने किसी हद तक हिन्दू तथा सिख शरणार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है जिसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं। किन्तु, सदा के समान, एक निर्बल प्रकार की धर्म निरपेक्षता इसमें घुस आई है और उन लोगों के प्रति अनुचित पक्षपात दिखाया गया है जो इसके योग्य नहीं हैं। मैं कह रहा था कि हिन्दू और सिख शरणार्थियों का दृष्टिकोण किसी हद तक स्वीकार कर लिया गया है पर पूरी तरह नहीं। मैं नहीं समझ पाता कि 19 जुलाई 1948 की तारीख नागरिकता के प्रयोजनार्थ क्यों विहित की गई है। ये अभागे शरणार्थी इस तिथि को कैसे जान सकते थे; अन्यथा वे पाकिस्तान के छुरे को पहले आमंत्रित कर लेने जिससे कि वे यहां जल्दी आकर नागरिकता के अधिकारों को प्राप्त कर सकते। यह बहुत अत्याचार होगा कि हम उन लोगों के लिये अपने द्वार बन्द कर दें जो कि 19 जुलाई 1948 के पश्चात् सताये गये थे। वे भी दूसरों के समान ही इस भूमि के पुत्र हैं। यह राजनैतिक दुर्घटना उनकी अपनी बनाई हुई नहीं है और अब यह अत्यन्त अत्याचार होगा कि उनके मार्ग में राजनैतिक बाधायें डाली जायें तथा उन्हें भारत माता की शरण में आने से रोका जाये। हमारी मांग यह है कि कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान में साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण, भारत आ गया हो और इस संविधान के आरम्भ पर यहां रहता हो वह स्वतः ही भारत का नागरिक समझा जाना चाहिये और उसे किसी पंजीकरण प्राधिकारी के पास जाकर कहना नहीं पड़ना चाहिये और नागरिकता के अधिकारों का दावा करने के लिये 6 मास के अधिवास की अर्हता सिद्ध करना आवश्यक नहीं होना चाहिये। हो सकता है कि वे अब के पश्चात् हमारे पड़ौसी राज्य में साम्प्रदायिक पागलपन के शिकार बन जायें; यह केवल संभव ही नहीं है वरन विद्यमान परिस्थितियों में यह अत्यन्त सम्भावित हैं। निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति वार्ता की असफलता से पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों के विरुद्ध आक्रमण हो सकता है, और हमें ऐसा खंड रखना चाहिये कि किसी हालत में इन लोगों को यहां आकर इस संघ के नागरिक बनने से नहीं रोका जायेगा।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[सरदार भूपेन्द्रसिंह मान]

अनुच्छेद 5-कक के आरम्भ में लिखा है:

"अनुच्छेद 5 तथा 5-क में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1947 के मार्च के पहले दिन के पश्चात् भारत राज्यक्षेत्र से पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा।"

इस खंड का प्रयोजन सर्वथा अपूर्ण रह जायेगा, क्योंकि हम शरणार्थी लोगों को, इस जनसंख्या विनिमय के कारण जिसमें सम्पत्ति का विनिमय अवश्यमेव अन्तर्ग्रस्त होगा, बहुत कष्ट हो जायेगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उप-उच्चायुक्त के कार्यालय से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना वास्तव में बहुत सरल कार्य है। इसके अतिरिक्त वे अनुज्ञा-पत्र, जब वे दिये गये थे तब वे विविध अन्य प्रयोजनों के लिये दिये गये थे—वाणिज्यिक व्यापार, सैर के प्रयोजनों आदि के लिये—और कम से कम नागरिकता के लिये कभी नहीं दिये गये थे। हमें केवल इसी आधार पर किसी को नागरिकता प्रदान नहीं कर देनी चाहिये कि वह इस अनुज्ञा-पत्र को पेश कर सकता है, जो वह किसी न किसी प्रकार उप-उच्चायुक्त के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। मैं अनुभव करता हूं कि यदि अनुज्ञा-पत्र पद्धति का उद्देश्य नागरिकता के अधिकार प्रदान करना था, तो इस प्रयोजन के लिये एक विशेष प्राधिकारी होना चाहिये था जिसे अनुज्ञा-पत्र देते समय यह समझ लेना चाहिये था कि वह पत्र किसी व्यक्ति को व्यापार अथवा वाणिज्य के लिये भारत आने का अनुज्ञा-पत्र नहीं है वरन इससे नागरिकता के अधिकार भी उसे मिल जायेंगे। इसके अतिरिक्त, हमें यह देखना है कि इससे निष्क्रमणार्थी सम्पति पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी हाल ही में भारत भर के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है कि जो व्यक्ति मार्च 1947 के पश्चात् पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया है, उसकी सम्पत्ति भारत के महा-संरक्षक को मिल जायेगी और उस हद तक वह सम्पत्ति शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये काम आयेगी। इस समय स्थिति यह है कि भारतीय सरकार के पास पहले ही सम्पत्ति कम है और वह पुनर्वास समस्या का समाधान करने में असमर्थ है। भारतीय राष्ट्रीयों ने पाकिस्तान में और मुस्लिमों ने भारत में जो सम्पत्तियां छोड़ी हैं उनका अन्तर पूरा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है कि वह उस अन्तर को कैसे भुगतायेगा। स्वभावत: हमारी नीति सम्पत्ति के उस अन्तर को कम करने की होनी चाहिये। इस खंड से तो वह अन्तर, कम होने के स्थान पर, बढ़ जायेगा। अत: एक ओर तो हम शरणार्थियों की सहायता करने में असमर्थ हैं, और दूसरी ओर हम उन्हें रियायतों पर रियायतें दिये जा रहे हैं जो इसके योग्य नहीं है। मुझे बताया गया है कि ये अनुज्ञा-पत्र बहुत कम ही दिये जायेंगे। मुझे बताया गया है कि केवल 3,000 ही दिये गये हैं। अब पता नहीं है कि उन लोगों को कितनी सम्पत्ति लौटाई जायेगी जो कि इस अनुज्ञा-पत्र पद्धति के अन्तर्गत वापस आयेंगे—शायद एक करोड़ हो यह बहुत कम हो—कुछ लाख ही हो। मेरा मतलब यह है कि यह सम्पत्ति जो कि अनुज्ञा-पत्र वालों को दी जायेगी वह निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति में से निकल जायेगी और महा-संरक्षक के हाथ में नहीं रहेगी और आपने हाल ही में जो अध्यादेश प्रख्यापित किया है, उसका उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकेगा।

उप-उच्चायुक्त से अथवा किसी प्राधिकारी से किसी कारण अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लेने से ऐसी मूल्यवान वस्तु भारत की नागरिकता—नहीं मिल जानी चाहिये और

अनुज्ञा-पत्र वालों को भारत माता के पुत्र नहीं मान लेना चाहिये। मैं एक उदाहरण देता हूं। गुड़गांव, भरतपुर और अलवर के मेवातियों ने कुछ ही समय पहले मुस्लिम लीग के बहकाने पर, मेवातिस्तान मांगा था और आजादी मिलने के समय वे हिन्दुओं के विरुद्ध–अपने पड़ौसियों के विरुद्ध बहुत महान दंगों में व्यस्त थे। 1947 में ये मेवाती लोग अपने हिन्दू पड़ौसियों के विरुद्ध महान दंगे कर रहे थे। यही मेवाती, इसी नरम अनुज्ञा-पत्र प्रणाली के अंतर्गत लौट रहे हैं और अपनी सम्पत्ति मांग रहे हैं। एक ओर तो हमारे पास सम्पत्ति की कमी है और दूसरी ओर उन्हें रियायतें दी जा रही हैं। निस्संदेह यह धर्म निरपेक्षता है, पर अत्यन्त एक-पक्षीय तथा अवांछित धर्म निरपेक्षता है जो अवश्यमेव हिन्दू और सिख शरणार्थियों के विरुद्ध है और उनके लिये हानिकारक है। मैं उन लोगों को नागरिकता के अधिकार नहीं देना चाहता जिन्होंने इतने स्पष्ट रूप में भारत की अखंडता को भग्न किया है और यह पुरानी बात भी नहीं हुई है। कल श्री सिधवा ने यह तर्क दिया था कि यह उपबन्ध केवल उन मुस्लिमों पर ही लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान चले गये थे और बाद में लौटेंगे, वरन अन्य राष्ट्रीयों पर भी लागू होगा, जैसे कि ईसाई हैं। पर क्या मैं उन्हें बता सकता हूं कि भारत में रहने वाला ऐसा एक भी ईसाई नहीं है जो पाकिस्तान चला गया हो और बाद में लौटेगा?

केवल ऐसे ही ईसाई लौटेंगे जो धर्माश्रित राज्य में असुविधायें होने के कारण आ जायेंगे। ऐसे ईसाइयों का सवाल नहीं है जो गये हों और वापस आयेंगे, पर यह उपबन्ध उन लोगों के संबंध में है जो पहले भारत के राष्ट्रीय थे पर जो पाकिस्तान के उद्घाटन पर उससे प्रेम के कारण पाकिस्तान चले गये थे।

मैं निस्संदेह उन लोगों को रियायतें देने के विरुद्ध हूं जिन्होंने खुलकर भारत की अखंडता का खंडन किया तथा अपमान किया, किन्तु यदि श्री टी.टी. कृष्णमाचारी, अथवा मस्विदा-समिति के सभापति, अथवा और भी अच्छा हो यदि श्री आयंगर जो पाकिस्तान के साथ प्रतिदिन लम्बी, धैर्यशील और विफल वार्ता चलाते हैं, हमसे यह वायदा करें कि वे इस जनसंख्या की वृद्धि और सम्पत्ति के बदले में हमें पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र का कुछ भाग दिला देंगे, तो मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं दूगा।

***श्री महबूब अली बेग साहिब** (मद्रास: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से तीन संशोधन हैं, संशोधन संख्या 120, 125 तथा 126। मेरे संशोधन संख्या 125 का उद्देश्य उन स्थानच्युत लोगों के विषय में व्यवस्था करना है जो पाकिस्तान से भारत आ गये हैं और जो अपने आवेदन-पत्र इस संविधान के आरम्भ के पश्चात् दें। हमारे समक्ष जो परिभाषा रखी गई है वह संविधान के आरम्भ के पश्चात् लोगों को नागरिकता प्रदान करने के प्रश्न के विषय में नहीं है सिवाय उन लोगों के मामले के जो कि समुद्र पार रह रहे हैं। पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि यह बात संसद पर छोड़ दी जायेगी। जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री कपूर ने कहा है, संविधान के पारित होने और संसद द्वारा अधिनियम बनाने के बीच जो पांच दस वर्ष का समय गुजरेगा, उसमें ऐसे मामले विनिश्चय के

[श्री महबूब अली बेग साहिब]

लिये उठ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। मेरे संशोधन संख्या 125 का प्रयोजन भी ऐसा ही है। वह यह है कि लोगों को संविधान के पारित हाने के पश्चात् भी नागरिक पंजीबद्ध होने के लिये याचिका पेश करने का अवसर मिले।

संशोधन संख्या 126 निम्न प्रकार है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की प्रथम सूची (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 5-ग के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:

'Subject to the Provisions of any law that may be passed by the Parliament in this behalf, the qualifications for citizenship mentioned in the foregoing provisions, shall apply *mutatis mutandis* to persons entitled to citizenship after the commencement of this Constitution.' "

[इस विषय में संसद जो विधि पारित करे उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती उपबन्धों में उल्लिखित नागरिकता की अर्हतायें यथास्थिति उन लोगों पर भी लागू होंगी जो कि इस संविधान के आरम्भ के पश्चात नागरिकता के हकदार हों।]

अनुच्छेद 5-क में उस नागरिकता को जारी रखने का प्रश्न है जो इस संविधान के पारित होने की तारीख को अर्जित की जाये। मेरा निवेदन है कि 5-ग अनावश्यक है। कोई व्यक्ति जो संविधान के पारित होने की तिथि पर नागरिक घोषित हो जायेगा, वह नागरिक रहेगा, जब तक कि संसद उसे अनर्ह न बना दे। अत: मेरे ख्याल में 5-ग अनावश्यक है। दूसरी ओर, आवश्यक यह कहने की है कि इस संविधान के पारित होने के पश्चात् कौन नागरिकता के हकदार होंगे। यह अधिक महत्वपूर्ण है, यह आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मैंने संशोधन संख्या 126 का सुझाव दिया है जिससे कि नागरिकता का पूरा चित्र सामने आ जाये, केवल इस संविधान के पारित होने के समय का ही नहीं, वरन बाद का भी, उस समय तक का जब तक कि संसद कोई विधान पारित करके उसका निराकरण न कर दे, या उसे बदल न दे या जो भी चाहे वह न करे। मेरा निवेदन है कि यह संशोधन आवश्यक है जिससे कि आप निश्चय कर सकें कि इस संविधान के पारित होने के पश्चात् कौन नागरिक होंगे।

श्रीमान, संशोधन संख्या 125 और 126 उस कमी को पूरा करने के लिये हैं जो मैं इस अनुच्छेद में देखता हूं। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि हम भविष्य के लिये विधान नहीं बना रहे हैं, इसी कारण हम उन लोगों के विषय में अर्हताएं नहीं रख रहे हैं जो इस संविधान के पारित होने के पश्चात् नागरिक बनेंगे। मेरा निवेदन है कि बहुत से लोग, जो, इस परिभाषा में रखी गई अर्हताओं के अनुसार, नागरिक बन सकते हैं या नागरिकता के हकदार हो सकते हैं, वे नागरिक बनने से रह जायेंगे और शायद हम उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे जब तक कि संसद कोई अधिनियम पारित न करे।

श्रीमान, संशोधन संख्या 120 के विषय में मैंने सुझाव दिया है कि प्रस्तावित अनुच्छेद 5 की व्याख्या को हटा दिया जाये। व्याख्या इस प्रकार है:

> "इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये जो व्यक्ति 1947 के अप्रैल के पहले दिन के पश्चात् पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा।"

यह व्याख्या उस संशोधन में थी जिसकी सूचना 6.7.1949 को आई थी। जब बाद में डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 5 और 6 पर नया संशोधन पेश किया तब यह व्याख्या हटा दी गई, पर उसके स्थान पर अनुच्छेद 5-कक रख दिया गया, जिसमें वास्तव में वही चीज है जो कि व्याख्या में थी। अब, श्रीमान, मैं चाहता हूं कि यह व्याख्या अथवा यह 5-कक बिल्कुल हटा दिया जाये। मैं नहीं चाहता कि स्थानच्युत लोगों के विषय में हमारा तरीका प्रतिष्ठाहीन हो। यही कहना पर्याप्त है कि उन लोगों की क्या अर्हताएं हों जो कि स्थानच्युत हो गये हैं। वह 5-क में रख दी गई हैं। यह काफी है। मैं नहीं समझता कि हम भारत से पाकिस्तान गये हुए लोगों का, जो कि लौट सकते हैं, उल्लेख क्यों करें। दूसरी अर्हताएं रख दी गई हैं। इस विषय में मेरा निवेदन है कि यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जो लोग एक अधिराज्य से दूसरे अधिराज्य में गये हैं, चाहे पाकिस्तान से भारत को आये हों चाहे भारत से पाकिस्तान गये हों, वे अत्यन्त विशेष और दु:खद परिस्थितियों में गये हैं। यदि लोग पाकिस्तान से भारत आये हैं, जैसा कि कई संशोधनों में उल्लिखित है, वे गड़गड़ के कारण आये हैं अथवा गड़बड़ की आशंका से आये हैं। जो बात उन पर लागू है वही बात समानरूपेण से उन पर भी लागू हो सकती है जो भारत से पाकिस्तान गये हैं। मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हम उनमें विभेद क्यों करें।

श्रीमान, मैं अब एक दो बातों का निर्देश करना चाहता हूं जिन पर कल बहस हुई थी। कल दो बातों पर वाद-विवाद केन्द्रित था। एक तो यह बात उठी थी कि नागरिकता की परिभाषा बहुत सरल और सस्ती है, और डॉ. देशमुख ने तो यह कहा था कि वह विचित्र रूप से सस्ती है। दूसरे सदस्य ने कहा कि वह बाजारू, सस्ती और सरल है। कुछ माननीय सदस्यों ने ये बातें कहीं थीं। डॉ. देशमुख ने ही तो कहा था कि यदि कोई विदेशी महिला जो भारत देखने आई हो यहां, कहीं बम्बई में, बालक को जन्म दे दे, तो उसका बालक भारत की नागरिकता के लिये अर्ह हो जायेगा। ऐसा निर्वचन, जिससे कि यह उपबन्ध विचित्र दीखता है, गलत है। अधिवास की शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिक बनाने के लिये भारत में अधिवास पहली शर्त है। दूसरी शर्ते ये हैं कि नागरिकता का दावेदार या उसके माता-पिता भारत में जन्मे हों और यहां पांच वर्ष से हों। अत: डॉ. देशमुख ने इस उपबन्ध का जो अर्थ निकाला है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के उदाहरण दिये हैं। उन्होंने कहा, "इन देशों को देखिये। वे भारतीयों को नागरिकता के अधिकार नहीं देते, चाहे वे उन देशों में तीस पैंतीस वर्ष से रह रहे हैं"। क्या मैं उनसे यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या हमें उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिये? क्या हम किसी कारण या बहाने से उन लोगों से कह सकते हैं "देखिये, आपने अपने देश में कई पीढ़ियों से रहने वाले भारतीयों को नागरिकता के अधिकार नहीं दिये हैं?" यदि हम यहां उन्हें नागरिकता के अधिकार नहीं देंगे

[श्री महबूब अली बेग साहिब]

तो क्या हम उनके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं? बुरे उदाहरणों का अनुसरण नहीं करना चाहिये। भारत में दोहरी नागरिकता वाले लोग हैं। भारत में हमारी ही दोहरी नागरिकता है। चाहे यह सम्भव हो या न हो, क्या हम अब नागरिकता के मामले में आस्ट्रेलिया जैसे प्रतिक्रियाशील देशों का अनुसरण करेंगे और यह कह देंगे कि नागरिकता अत्यन्त कठोर शर्तों पर ही उपलब्ध हो सकेगी? यह बहुत अद्भूत बात है कि डॉ. देशमुख उन्हीं लोगों को नागरिकता अधिकार देना चाहते हैं जो धर्म से हिन्दू या सिख हों। उन्होंने इस अनुच्छेद के नागरिक अधिकार प्रदान करने वाले उपबन्ध को अजीब सस्ता बताया था। दूसरी ओर मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके विचार अजीब हैं। अतः हमें उन देशों के उदाहरण पर नहीं चलना चाहिये जिनकी हम सर्वत्र निन्दा करते हैं, केवल यही नहीं संयुक्त राष्ट्र में भी, और हम शिकायत करते हैं कि यद्यपि भारतीय उन देशों में रह रहे हैं पर उन्हें वहा नागरिकता अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं।

अब, श्रीमान, मेरा ख्याल यह है कि मुझे मस्विदा-समिति को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने इस अनुच्छेद को इस रूप में पेश किया है। इसके संबंध में मेरी आपत्ति यही है कि वह पूर्ण नहीं हैं। पहली बात यह है कि इसमें उन लोगों के मामलों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है जो संविधान के पारित होने के पश्चात से उस वक्त के बीच नागरिकता का दावा करें जब तक कि संसद इस प्रश्न का विनिश्चय न करे।

इस संबंध में दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 5-क तथा 5-कक में दो दोष हैं। अनुच्छेद 5-क कहता है कि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है उसके पास प्रमाण-पत्र होना चाहिये। मैं पूछता हूं, क्यों? आप प्रमाण-पत्र क्यों चाहते हैं? आपने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक है। जब वह भारत को लौटता है तब आप उससे प्रमाण-पत्र क्यों मांगते हैं?

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास: जनरल): वह पाकिस्तान क्यों गया?

***श्री महबूब अली बेग साहिब:** वह वहां नहीं गया। वह वहां था। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में था और लौट रहा है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** वह कब लौटा?

***श्री महबूब अली बेग साहिब:** वह भारत का नागरिक था जब 1935 के अधिनियम के अधीन पाकिस्तान भारत में समाविष्ट था। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में रह रहा था जो भारत का भाग था और वह अब लौटना चाहता है। आप उससे प्रमाण-पत्र क्यों मांगते हैं? आप यह क्यों चाहते हैं कि वह यहां 6 मास रहे? वह भारतीय है और यहां आ जाता है, स्वेच्छा से नहीं, वरन बहुत दु:खद परिस्थितियों में। वह भारत में आ जाता है क्योंकि

वह वहां गड़बड़ के कारण अथवा गड़बड़ की आशंका से वहां नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति से प्रमाण-पत्र मांगा जाये।

***माननीय श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): केवल उनसे प्रमाण-पत्र मांगा जायेगा जो कि 19 जुलाई 1948 के पश्चात् लौटेंगे।

***श्री महबूब अली बेग साहिब:** मैं यह जानता हूं। इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया हो, उसका प्रश्न बहुत भावुकता उत्पन्न करने वाला है। लोगों को इस पर जोश आ गया है और वे भावुक तथा आक्रमणात्मक बन गये हैं। हमारे लिये यह सब अनावश्यक है। हमें इस मामले पर शांति से विचार करना चाहिये। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिये जो परिस्थितियां थीं वैसी ही पाकिस्तान जाने वालों के लिये थीं इसलिये दोनों में क्या अन्तर था? मैं उन मामलों को तो समझ सकता हूं जो उन लोगों के विषय में हैं जो पाकिस्तान में रहने के लिये वहां चले गये हैं या हिन्दुस्तान में रहने के लिये ही भारत आ गये हैं। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं कि नौकरी के कारण पाकिस्तान के प्रांतों में नियोजित व्यक्ति भारत आ जाते हैं। उस प्रकार के मामले भी हैं। श्रीमान, यह ठीक है कि जब विभाजन हुआ, जब दोनों दलों ने 3 जून का समझौता स्वीकार कर लिया, तब यह आशा थी कि दोनों अधिराज्यों में अल्पसंख्यक अपने स्थानों पर रहेंगे और उन्हें रक्षण-कवच दिये जायेंगे। यही सच्ची आशा थी, यही सच्चा समझौता था, पर हुआ यह कि शक्ति हस्तान्तरण के पश्चात् गड़बड़ हो गई और ऐसी घटनायें हुई कि लोगों को स्थानान्तरित होना पड़ा। अब, श्रीमान, जब ऐसी परिस्थितियां थीं, तब क्या यह उचित है कि उन लोगों में अन्तर किया जाये—मैं तो इसे विभेद कह सकता हूं,—जो भारत आये और जो उन्हीं परिस्थितियों में पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गये? हमें वे बातें भूलनी नहीं चाहिये जिनकी महात्मा गांधी अपने जीवन में हमें शिक्षा देते थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उन लोगों को अपने घरों में लौट आने के लिए कहा था जो पाकिस्तान चले गये हैं। अत: श्रीमान, हमें इस मामले पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिये। मैं जानता हूं कि इस सभा में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दु:ख झेलने पड़े हैं, जिनके घर छिन गये हैं, जिनकी सम्पत्ति छिन गई है, जिनके कारोबार, प्रतिष्ठा सब समाप्त हो गये हैं। मैं जानता हूं उन पर सचमुच प्रभाव पड़ा है। इस मामले पर सचमुच उनकी भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं, पर हमें इस मामले पर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिये। कोई यह न कह सके कि इस सभा में कुछ सदस्यों को विभाजन के कारण कष्ट झेलने पड़े थे, अत: उन्हें क्रोध था, और उस क्रोधावेश में उन्होंने अनुच्छेद 5-कक को पारित कर दिया। यहां तक तो यह सही है कि कोई व्यक्ति यहां बसना चाहता है तो उसे नागरिक बना लिया जाये; पर असली प्रश्न उन लोगों के विषय में है जो वापस आ रहे हैं—मुझे पता नहीं है कि लोग आ रहे हैं या नहीं। मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य है कि जो लोग लौट रहे हैं वे देश-द्रोही हो सकते हैं। कानून का हाथ इतना लम्बा होना चाहिये कि जो भी व्यक्ति देश-द्रोही बने उसे वह पकड़ ले। आप क्या करेंगे यदि आपमें से ही कोई देशद्रोही बन जाये, साम्यवादी बनकर शासन को उलटना चाहे? अत: यह कहना बिल्कुल युक्तियुक्त नहीं है कि भारत लौटने वाले देश-द्रोही हो सकते हैं अत: उन्हें लौटने नहीं देना चाहिये। ऐसी बातों से तो आप कभी बलशाली नहीं बन सकेंगे। ऐसी मानसिक स्थिति को हटाना चाहिये, मिटा देना चाहिये। इसके अतिरिक्त आप केवल वर्तमान के लिये विधान बना रहे हैं। संसद अपने स्वविवेक से, यदि वह आवश्यक समझे तो, किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है और उसे निकाल

[श्री महबूब अली बेग साहिब]

सकती है। इस मामले में संसद सर्व शक्तिमान है। अत: मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि यहां से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से आने वाले लोगों में विभेद क्यों किया जाये। यह शुद्ध भावुकता है और इससे उन लोगों में भी विश्वास उत्पन्न नहीं होता और दूसरों में भी नहीं होता। मैं अन्त में यही कहता हूं कि हमें इस मामले पर शान्ति से विचार करना चाहिये और यदि हम समझते हैं कि महात्मा गांधी की शिक्षायें ठीक थीं, तो हमें उनके विरुद्ध नहीं चलना चाहिये और ऐसा विधान बनाकर दोनों प्रकार के लोगों में अन्तर नहीं करना चाहिये।

***अध्यक्ष:** एक दो संशोधन हैं। उनकी सूचना श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा ने कल कुछ देर में भेजी थी पर मैं श्री शर्मा को उसके पेश करने की अनुमति दे देता हूं। एक और संशोधन हैं जिसकी सूचना श्री जय सुख लाल हाथी ने दी थी। मैं नहीं समझता कि मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं। यह बहुत देर में आया था। श्री कृष्णचन्द्र शर्मा।

***श्री कृष्णचन्द्र शर्मा** (युक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान, मेरा इसे पेश करने का विचार नहीं है।

***माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू** (युक्तप्रांत: जनरल): श्रीमान, मैं डॉ. अम्बेडकर के प्रस्तावों का और श्री गोपालस्वामी आयंगर के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। शायद नागरिकता संबंधी इन सब अनुच्छेदों पर पिछले कुछ मासों में जितना विचार हुआ है उतना संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद पर नहीं हुआ।

अब ये कठिनाइयां दो कारणों से उत्पन्न हुई हैं। एक तो देश का विभाजन है ही। दूसरा कारण विदेशों में बहुत से भारतीयों की उपस्थिति है, और इन भारतीयों के लिये यह निश्चित करना कठिन था कि उन्हें हमारे नागरिक समझा जाये या नहीं, और अंतत: इन दोनों कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन अनुच्छेदों की रचना की गई। वैयक्तिक रूप में मेरा ख्याल है कि जो उपबन्ध बनाये गये हैं वे बहुत संतोषजनक हैं। अनिवार्यत: कोई ऐसा उपबन्ध नहीं बनाया जा सकता है जो सब सम्भावनाओं की तथा न्यायपूर्वक सब मामलों की व्यवस्था कर दे और कोई भी त्रुटि न रहे। विदेशों में हमारे लाखों लोग रहते हैं। उनमें से कुछ को विदेशी राष्ट्रीय समझा जा सकता है, यद्यपि वे मूल वंश से भारतीय हैं। अन्य अपने आप को किसी हद तक भारतीय समझते हैं पर उनकी स्थानीय राष्ट्रीयता भी एक प्रकार से है ही, जैसेकि मलाया, सिंगापुर, फिजी और मॉरीशस में। यदि आप उन्हें स्थानीय राष्ट्रीयता से वंचित कर देंगे जो वे वहां विदेशी बन जायेंगे। अत: ये सब कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और आप देखेंगे कि इस संकल्प में हमने इस समय के लिये उनकी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है, और यह उन पर छोड़ दिया है तथा वहां हमारे महावाणिज्यदूतों पर छोड़ दिया है कि उन्हें पंजीबद्ध किया जाये या नहीं। यह चीज स्वत: नहीं होगी। हमारे प्रतिनिधि, यदि वे समझे, कि आवेदन-पत्र देने वाला भारतीय नागरिकता के लिये अर्ह है तो, उनके नामों को पंजीबद्ध कर सकता है।

अब मैं देखता हूं कि अधिकांश बहस उन लोगों के विषय में हुई है जो किसी न किसी प्रकार विभाजन के शिकार हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मस्विदा बनाना सम्भव है, चाहे आप कितना ही परिश्रम करें, जो कि इस अत्यन्त कठिन और उलझी हुई स्थिति में ठीक बैठ सके, जो कि उत्पन्न हुई है, अर्थात विभाजन। अनिवार्यत: हमें कोई ऐसी बात करनी होती है जिसमें हमारे लोगों के लिये अधिकतम न्याय अंतर्ग्रस्त हो और जो इस समस्या का सर्वाधिक क्रियात्मक हल हो। ऐसे उपबन्ध में आप यह तो रख नहीं सकते कि आप किसे चाहते हैं और किसे नहीं चाहते; आपको कुछ सिद्धांत रखने होते हैं, किन्तु कोई सिद्धांत जो आप रखें हो सकता है वह बहुत से मामलों में ठीक न बैठे। इसका तो किसी तरह कोई इलाज हो ही नहीं सकता। अत: आप आप यह देखिये कि वह सिद्धांत अधिकांश मामलों में ठीक बैठ जाये, चाहे बहुत थोड़े से मामलों में ठीक न बैठे, और उनमें एक प्रकार की कठिनाई हो सकती है। मेरे ख्याल में इन सुझावों के रचियता बहुत हद तक ऐसा मस्विदा बना सके हैं जिसमें वास्तव में 99.9 मामलों का न्याय और क्रियात्मक तरीके से निबटारा हो सकता है, हो सकता है कुछ लोग न आ सकें। सच बात तो यह है कि देशीयकरण की कार्यवाही में भी किसी व्यक्ति के लिये ठीक-ठीक निश्चय करना बहुत कठिन हैं और हो सकता है आप सबको ले लें या न लें। किन्तु, जहां तक मैं समझ सकता हूं, मुख्य आपत्ति श्री गोपालस्वामी आयंगर के संशोधन पर है जिसके अनुसार जो लोग यहां स्थायी रूप से लौट आये हैं और जो स्थायी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त हैं वे भारत के नागरिक समझे जायेंगे। उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है और उनकी उपस्थिति पर इसलिये आपत्ति की जाती है कि यह सोचा जाता है कि वे शायद कुछ निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति पर कब्जा कर लेंगे, जो अब तक निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति मानी जाती है और इस प्रकार हमारे शरणार्थियों अथवा स्थानच्युत लोगों का अंश कम हो जायेगा, जिन्हें अन्यथा वह सम्पत्ति मिल जाती।

अब मेरे ख्याल में इस मामले में बहुत भ्रांति है। जैसा आप देखेंगे इन विभाजन-संबंधी परिणामों के विषय में हमारा सामान्य नियम यह है कि हम बिना पूछे उस महान जन समूह को स्वीकार करते हैं जो पाकिस्तान से भारत आया है। हम जुलाई 1948 तक तो उन्हें नागरिक मान लेते हैं। हां, यह सम्भव है कि उस काल में कई गलत लोग आ गये हों, जिन्हें हम नागरिक शायद न मानें यदि हम प्रत्येक के मामले पर गौर करें; पर ऐसे लाखों मामलों पर विचार करना असम्भव है और हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। जुलाई 1948 के पश्चात्, अर्थात एक वर्ष पूर्व, आये हुए लोगों के विषय में हम एक प्रकार की पड़ताल करेंगे और एक दंडाधीश साक्ष्य आदि लेकर उन्हें पंजीबद्ध करेगा; अन्यथा वह और पड़ताल करेगा तथा अन्त में पंजीबद्ध नहीं करेगा यानी रद्द कर देगा। अब ये सब नियम स्वभावत: हिन्दू, मुस्लिम, सिख या ईसाई या कोई हो सब पर लागू हैं। हम केवल हिन्दुओं के लिये, या मुस्लिमों के लिये या ईसाइयों के लिये नियम नहीं बना सकते। यह बात तो देखने में ही बेहूदी है; पर कार्यरूप में हम कहते हैं कि हम प्रथम वर्ष के प्रव्रजन की अनुमति देते हैं और स्पष्ट है कि वह महान प्रव्रजन पाकिस्तान से हिन्दुओं और सिखों का प्रव्रजन था। दूसरे मुश्किल से ही कोई आये होंगे। सम्भव है कि बाद में, अनुज्ञा-पत्र प्रणाली के कारण, कुछ अहिन्दु तथा असिख आ गये हों। वे कैसे आये? कितने आये? मुझे बताया गया है कि तीन प्रकार के अनुज्ञा-पत्र हैं। एक तो बिल्कुल अस्थायी होता है जो एक दो मास के लिये होता है, और जो भी कालावधि हो, एक व्यक्ति को आकर उसी कालावधि में

[माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू]

लौटना पड़ता है। उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे प्रकार का एक अनुज्ञा-पत्र होता है, जो स्थायी नहीं होता, पर स्थायी के समान होता है, जिससे किसी व्यक्ति को यहां बसने का अधिकार नहीं होता पर उसे यहां बार-बार कारोबार के लिये आने का हक मिल जाता है। वह आता है, जाता है और उसका अनुज्ञा-पत्र जारी रहता है। मैं कह सकता हूं कि उसका कोई झगड़ा नहीं है। तीसरे प्रकार का अनुज्ञा-पत्र यहां आकर स्थायी रूप से ठहरने का होता है अर्थात वह व्यक्ति भारत लौटकर यहां बस सकता है।

अब, इस सब अनुज्ञा-पत्रों के मामलों में अब तक उन्हें जारी करने में बहुत सावधानी बरती गई है। जिस स्थान से वह व्यक्ति आया हो और जहां वह जाना चाहता है वहां के स्थानीय अधिकारियों को सम्बोधित किया जाता है; स्थानीय सरकार को सम्बोधित किया जाता है, और जब स्थानीय अधिकारी तथा स्थानीय सरकार काफी कारण समझती है तभी कराची या लाहौर में हमारा उच्चायुक्त, यथास्थिति, उस प्रकार का अनुज्ञा-पत्र देता है।

***श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय** (मध्य भारत): ऐसे अनुज्ञा-पत्रों की संख्या कितनी है?

***माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू:** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं पर यहां आने से पहले, मैंने श्री गोपालस्वामी आयंगर से पूछा था; उन्हें ठीक-ठीक आंकड़े पता नहीं थे और बिल्कुल अनुमान से दो तीन हजार होंगे।

अब साधारणत: ये अनुज्ञा-पत्र दो प्रकार के लोगों को दिये जाते हैं। हां, दूसरे भी हो सकते हैं, पर सामान्यत: जिन लोगों को वे दिये जाते हैं वे दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसे हैं जबकि कोई परिवार टूट जाये, जब परिवार का एक भाग यहां रह जाये और दूसरा चला जाये, जब पति यहां रह जाये और गड़बड़ आदि के कारण अपनी पत्नी तथा बालकों को भेज दे; उसने यहां रहना सुरक्षित समझा या किसी कारण से यहां रह गया और अब उसकी पत्नी तथा बच्चे आना चाहते हों, तो हमने उन्हें अनुमति दे दी यदि यह सिद्ध हो गया कि वे यहां सदा रहेंगे। साधारणत: यह उन परिवारों पर लागू है जो कि टूट गये और हमें यह विश्वास हो गया कि परिवार यहीं है और उसका इरादा जाने का नहीं है और हमें किन्हीं असाधारण परिस्थितियों के वश में थोड़े से व्यक्ति चले गये थे जो लौटना चाहते थे। लगभग ऐसे व्यापक सिद्धांतों पर विचार किया गया और स्थानीय सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों ने सिफारिश की कि ऐसा किया जायें और ऐसा किया गया। यह मुख्य मामला है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोगों के मामले हैं जिन्हें आप राष्ट्रीय मुस्लिम कह सकते हैं, उन लोगों की जाने की किंचित भी इच्छा नहीं थी पर वे परिस्थितियों वश धकेल ही दिये गये, जिन्हें परिस्थितियों के कारण भागना पड़ा पर दूसरी ओर जाकर उन्होंने देखा कि वहां उनके लिए कोई स्थान नहीं है, दूसरी ओर उन्हें कोई नहीं चाहता; वे उन्हें विरोधी और शत्रु समझते हैं और उनके जीवन को कष्टमय बना दिया है और आरम्भ से ही उन्होंने वापस आने की इच्छा प्रकट की और उनमें से कुछ लौट आये। मेरा कहना यह है कि सब बातों पर विचार करते हुए इन मामलों की संख्या बहुत कम है, महत्वहीन है। प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर अलग-अलग उस स्थान के स्थानीय अधिकारी ने

विचार किया जहां के वे निवासी थे; स्थानीय सरकार ने, विचार करने के पश्चात्, एक विनिश्चय किया और अनुज्ञा-पत्र देने की सिफारिश की। अब इससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे पारित करें या न करें। सरकार ने एक विनिश्चय कर दिया है और जब कोई व्यक्ति लौट आया है, वह यहां है; और यहां आने के पश्चात्, उसे ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार मिल जाते हैं और वे सब स्वभावत: सरकार के विनिश्चिय के फलस्वरूप होते हैं। यह तो केवल मामला स्पष्ट करना है। इससे कोई नियम नहीं बनता। फर्ज किया बहुत कम या महत्वहीन सम्पति का प्रश्न हो तो सिद्धांत अन्तर्ग्रस्त होने की बात नहीं है, वरन परिवार के टूट जाने के पश्चात जब उसके कुछ सदस्य वापस आने पर वे उस सम्पत्ति को ले लेंगे जो परिवार के शेष सदस्यों के पास थी, अत: कोई नई सम्पति अंतर्ग्रस्त नहीं होगी। नई सम्पत्ति अंतर्ग्रस्त है ही नहीं और यदि हो तो अत्यन्त लघु होगी। इससे किसी को कोई अन्तर नहीं पड़ता। जब कोई व्यक्ति सरकार द्वारा पूरी पड़ताल और अनुमति के पश्चात्, और अनुज्ञा-पत्र आदि लेकर आता है तो सम्पत्ति के विषय में भी कुछ परिणाम हो सकते हैं। यदि ये परिणाम होते हैं, यदि उसे किसी सम्पति का अधिकार मिलता है, तो वह इसलिये है कि वह भारत का नागरिक है और स्थानीय सरकार ने विनिश्चय कर दिया है, चाहे वह पूर्वी पंजाब सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो अथवा युक्त प्रांत की सरकार हो। इस संशोधन को स्वीकार करने या न करने से वे नहीं रूकते। हां, सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सभा होने के नाते विधि बनाकर आप उन्हें रोक सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं; पर इसका यह निष्कर्ष नहीं है। मैं आपसे इस बात पर विचार करने का निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के मामले में जहां समुचित पड़ताल करने के पश्चात सरकार समझती है कि न्याय की यह मांग है, नियमों और रूढ़ियों की यह मांग है कि किसी व्यक्ति के विषय में कोई कार्यवाही होनी चाहिये—तो मैं नहीं समझ पाता कि आप न्याय और औचित्य के सिद्धांतों को उलटे बिना उससे कैसे मुकर सकते हैं। हां, आप किसी विशेष मामले को चुनौती दे सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं और उस विनिश्चय को गलत सिद्ध करके उलट सकते हैं, पर आप उसे किसी प्रकार के सिद्धांत पर बुरा नहीं बता सकते।

एक शब्द बार-बार प्रयुक्त हुआ है। मैं उस शब्द के विरुद्ध अपना कड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन इस शब्द पर ध्यान से विचार करें और वह यह है कि यह सरकार खुशामद करती है, मुसलमानों की खुशामद, पाकिस्तान की खुशामद, इसकी खुशामद और उसकी खुशामद। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उस शब्द का क्या अर्थ है। क्या माननीय सदस्य जो खुशामद की बात करते हैं समझते हैं कि इन लोगों के संबंध में कोई ऐसा नियम बनाया जाये जिसका न्याय और औचित्य से कोई संबंध न हो? मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। यदि हां, तो मैं निस्संदेह खुशामद का समर्थन करूंगा। ये सरकार स्थिति को सम्भालने का जो ठीक उपाय समझती है, व्यक्ति तथा वर्ग के लिये न्याय, उससे वह एक बाल भर भी इधर या उधर नहीं चलेगी।

एक और शब्द बार-बार कहा गया है, यह असाम्प्रदायिक राज्य का मामला। क्या मैं अत्यन्त नम्रता के साथ उन सज्जनों से, जो इस शब्द का बहुधा प्रयोग करते हैं, प्रार्थना कर सकता हूं कि वे इसका प्रयोग करने से पूर्व किसी कोष को देख लिया करें? यह प्रत्येक अवसर पर और प्रत्येक सम्भव समय पर लाया

[माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू]

जाता है। मैं इसे नहीं समझता। निस्संदेह इसका बहुत महत्व है। पर इसका सब संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह कहकर कि हम असाम्प्रदायिक राज्य हैं हमने कोई आश्चर्यजनक उदारता की है, अपनी जेब से शेष जगत को कोई चीज निकालकर दे दी है, कोई ऐसा कार्य किया है जो हमें करना नहीं चाहिये था, इत्यादि। हमने केवल वही चीज की है जो प्रत्येक देश करता है, केवल संसार के वुछ पथ भ्रष्ट और पिछड़े हुए देश नहीं करते। हमें इस शब्द का निर्देश इस अर्थ में नहीं करना चाहिये कि हमने कोई महान कार्य किया है।

मैं समझ नहीं सकता कि कोई भी सम्भवतः श्री गोपालस्वामी आयंगर के संशोधन के विरुद्ध तर्क कैसे कर सकता है? उस संशोधन के विरुद्ध तर्क करना निश्चय से अन्याय का समर्थन है, विभेद का समर्थन है, ऐसी बात न करने का समर्थन करना है जो पूरी जांच के पश्चात् ठीक पाई गई है, यह ऐसी बात करने का समर्थन है जिसका संख्या या सम्पत्ति के क्रियात्मक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। यह तो मन भर में कण के समान है। उस छोटी सी बात के लिये संतोष प्राप्त करने के उद्देश्य से, क्योंकि आपकी सम्पत्ति की भावना इतनी तीक्ष्ण है, क्योंकि आपका न्यस्त स्वार्थ इतना तीक्ष्ण है कि आप अपने सम्पत्ति-समूह में से एक लाखवां भाग भी बाहर नहीं जाने देना चाहते, या किसी और कारण से आप उस नियम को उलट देना चाहते हैं जिसे हमने निश्चित सिद्धांतों पर, न्याय तथा समानता की भावना पर आधारित करना चाहा है। यह अच्छी बात नहीं होगी। मैं सदन से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करता हूं कि चाहे आप श्री गोपालस्वामी आयंगर के इस संशोधन को स्वीकार करें या न करें, वास्तविकता यह है कि सरकार की नीति तो जारी रहेगी ही और उससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय नहीं है जब तक कि सरकार की ओर से प्रदत्त प्रत्येक वचन को और आश्वासन को, तथा उचित पड़ताल के पश्चात् दिये गये प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र को उलट न दिया जाये। इसके अतिरिक्त, इस मामले में कृपया स्मरण रखिये कि अनुज्ञा-पत्र की प्रणाली ही जुलाई 1948 में आरम्भ हुई थी, जबकि बड़े पैमाने का प्रव्रजन पूर्णतः बंद हो चुका था। इस संशोधन में उस कालावधि का, अर्थात जुलाई 1948 से अब तक का, एक विशेष रूप में निर्देश है, इस अर्थ में निर्देश है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को किसी जिला दंडाधीश या ऐसे किसी अधिकारी के पास जाना होगा और अपने आपको पंजीबद्ध करवाना होगा। वह स्वयमेव नागरिक नहीं बन जायेगा। उसे वहां जाकर कोई प्रमाण देना होगा, इस प्रकार उसे दूसरी घाटी में से गुजरना होगा। यदि वह पार हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा वह इस समय भी अस्वीकृत हो सकता है। सदन में श्री गोपालस्वामी आयंगर ने अपने संशोधन में जो सुझाव रखे हैं वे अत्यन्त न्यायपूर्ण और ठीक हैं और उससे एक उलझी हुई स्थिति यथासम्भव व्यवहारिक रूप में सुलझ जाती है।

***श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर** (मद्रासः जनरल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर द्वारा इस विषय को स्पष्ट अवलोकन के पश्चात और प्रधानमंत्री द्वारा नीति तथा सिद्धांतों के स्पष्ट वक्तव्य के पश्चात्, मैं लम्बी वक्तृता देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि मेरे विचार में इन अनुच्छेदों के, जो कि सदन के समक्ष पेश किये गये हैं, मुख्य सिद्धांत क्या हैं।

इन अनुच्छेदों का उद्देश्य सदन के समक्ष राष्ट्रीयता विधि की संहिता के समान कोई चीज पेश करना नहीं है। ऐसा तो किसी राज्य में भी संविधान बनाते समय कभी भी नहीं किया गया। निस्संदेह संयुक्त राज्य के संविधान में कुछ सिद्धांत रख दिये गये है; पर संसार में शायद ही कोई ऐसा संविधान हो जिसमें राष्ट्रीयता विधि के संबंध में सविस्तार उपबन्ध रखने का प्रयत्न किया गया हो। किन्तु क्योंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारा संविधान गणराज्यीय संविधान होगा और समस्त संविधान में उपबन्ध किये गये हैं कि संसद के सदनों में और एककों में विविध सभाओं के निर्वाचन होंगे, और नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगें, अत: यह आवश्यक है कि संविधान के आरम्भ में नागरिकता संबंधी कुछ उपबन्ध रखे जायें। अन्यथा विशेष पदों के धारण करने में कठिनाई होगी और गणराज्यीय संविधान के अंतर्गत देश में प्रतिनिधि संस्थायें आरम्भ करने में भी कठिनाइयां होंगी। अत: नागरिकता संबंधी अनुच्छेद भावी विधियों के अधीन रहेंगे जो राष्ट्रीयता या नागरिकता के विषय में संसद पारित करे। संसद को पूरा अधिकार है कि वह राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता के विषय में कोई विधि बना सकती है जो हमारे देश की हालत के लिये उपयुक्त हो। यह कल्पना नहीं करनी चाहिये कि संविधान में, जिसमें कई विषय होते हैं, नागरिकता संबंधी सब उलझी हुई समस्याओं को निबटाना सम्भव है। यह प्रश्न उठाया गया है कि विवाहित स्त्री की क्या स्थिति होगी, बालकों की क्या स्थिति होगी, दोहरी नागरिकता आदि की क्या स्थिति होगी। वस्तु स्थिति ऐसी है कि इस संविधान में, जो हमने बनाया है, वे इन सब आकस्मिकताओं के लिये व्यवस्था करना असम्भव है।

फिर नागरिकता के विषय में एक बात याद रखनी होगी। नागरिकता के साथ-साथ कर्तव्य भी होते हैं। विदेशों में भारत के नागरिकों के विषय में भारत सरकार के भी कर्तव्य हैं।

इस विषय में एक और बात स्मरण रखनी होगी जो यह है। राष्ट्रीयता या नागरिकता संबंधी किसी विधि के कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं, पर दोहरी नागरिकता के विरुद्ध कुछ व्यवस्था करना सरल नहीं है। विविध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कोई ऐसा सिद्धांत सूत्रित करना अत्यन्त कठिन प्रतीत हुआ जिससे कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत सर्वथा हट जाये। यह कठिनाई इस कारण उत्पन्न होती है कि मुख्यत: यह प्रत्येक राष्ट्र का काम है कि वह अपनी राष्ट्रीयता विधि और नागरिकता विधि को निश्चित करे। साथ ही उसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो जाते हैं, यथा नागरिकता के विषय में यूरोप की विधि और इंग्लिस्तान की विधि भिन्न हैं और उसके कारण कुछ संघर्ष उत्पन्न हो गये हैं।

इसलिए किसी संविधान में और विशेषत: विद्यमान संविधान में, जिसमें नागरिकता संबंधी अस्थायी उपबन्ध ही रखे जा रहे हैं, दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता की समस्या को निबटाने का प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं है। सदन के समक्ष ये जो अनुच्छेद रखे गये हैं उनमें ये सब बातें ध्यान में रखी गई हैं। अब मैं उन सिद्धांतों का निर्देश दूंगा जो इन अनुच्छेदों में से प्रत्येक में निहित हैं।

अनुच्छेद 5 (1) के विरुद्ध कुछ वक्ताओं ने यह बात कही है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत के राज्य-क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो नागरिकता का अधिकार मिल जाता है और यह कुछ असंगत सा सिद्धांत है। मुझे भय है कि

[श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर]

आलोचकों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा है कि हमारा अनुच्छेद, उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य के संविधान से अधिक कड़ा है। संयुक्त राज्य के संविधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य में उत्पन्न हो तो वह उसका नागरिक समझा जायेगा चाहे उनका वर्ण या मूल वंश कुछ भी हो। केवल देशीयकरण विधि के विषय में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। हमने एक और अर्हता रखी है कि उस व्यक्ति का स्थायी निवास भारत में हो। मैं 'अधिवास' शब्द के स्थान पर सरल पद 'स्थायी निवास' का प्रयोग कर रहा हूं।

फिर अनुच्छेद 5 के खंड (ग) में इस देश की विशेष स्थिति का ध्यान रखा गया है। भारत में गोआ, फ्रांसीसी बस्तियां आदि कई बाह्य क्षेत्र हैं जहां से लोग भारत आकर इस देश में बस गये है, भारत को अपना स्थायी निवास समझते हैं, तथा उन्होंने इस देश में जीवन को ऊंचा उठाने में अंशदान किया है। उन्होंने वाणिज्य में सहायता की है और वे अपने आपको भारत का नागरिक समझते रहे हैं। इसलिये इन मामलों के लिये खंड (ग) में यह उपबन्ध रखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पांच वर्ष के लिए लगातार निवासी रहे और उसका अनुच्छेद 5 के प्रारम्भिक भाग के अधीन अधिवास भी हो तो वह देश का नागरिक माना जायेगा। फिर अन्त में यह कहा गया है कि "उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वयं अवाप्त न की होनी चाहिये"। यदि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस पर नागरिकता थोप दी जाये तो वह इस देश में नागरिकता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जायेगा, पर यदि उसने स्वेच्छा से अन्य राज्य की नागरिकता अवाप्त कर ली हो तो वह इस देश में नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 5 के उत्तर-भाग का यह उद्देश्य है।

अनुच्छेद 5-क का उद्देश्य पाकिस्तान से भारत को सामूहिक प्रव्रजन के सब मामलों की व्यवस्था करना है और उन लोगों के लिये उपबन्ध करना है जिन्होंने विद्यमान भारत को अपना घर बना लिया है। अब वे हमारे देश में हैं और इसे अपना घर बनाना चाहते हैं। उस अनुच्छेद में हम एक सम्प्रदाय और दूसरे सम्प्रदाय के बीच, एक जाति और दूसरी जाति के बीच कोई भेद नहीं करना चाहते। हमने एक सामान्य उपबन्ध बना दिया है कि यदि वे भारत को प्रव्रजन कर आये हैं और यदि पूर्ववर्ती संविधान में परिभाषित भारत में जन्मे थे तो नागरिकता के अधिकारों के हकदार होंगे। अनुच्छेद 5-क, खंड (क) का यह आशय है। खंड (ख) में प्रव्रजित लोगों के पंजीयन का उपबन्ध है। खंड (2) में कुछ रक्षण-कवच रखे गये हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि प्राधिकारी प्रव्रजित लोगों को भारत के निष्ठावान नागरिक स्वीकार करते हैं। इस खंड का यह उद्देश्य है। एक यह भी उपबन्ध है कि यदि आवेदक भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 6 मास तक नहीं रह चुका है तो उसे पंजीबद्ध नहीं किया जायगा। अतः दो संरक्षण हैं, (1) पंजीयन होगा, और (2) यदि आवेदक आवेदन-पत्र की तिथि से पूर्व 6 मास तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास नहीं कर चुका है तो पंजीयन नहीं होगा। यदि केवल अनुच्छेद 5-क कोई तना ही रहने दिया जाता तो इसका यह अर्थ हो जाता कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान को अपना स्थायी निवास बनाने की इच्छा से पाकिस्तान गये हों, और लौट आये हों, तो वे भी 5-क से लाभ उठा सकते

हैं। उस आकस्मिकता के विरुद्ध उपबन्ध करने के लिए 5-कक रखा गया है जो इस प्रकार है:-

> "इस संविधान के अनुच्छेद 5 तथा 5-क में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1947 के मार्च के पहले दिन के पश्चात् भारत राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तान के इस समय अंतर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा।"

इसको अस्पष्ट रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से तथा जानबूझकर अन्य देश का नागरिक बनना पसन्द किया है, जबकि यह प्रश्न उठ चुका था, जबकि पाकिस्तान को भारत से पृथक स्वतंत्र राज्य-क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार देने से कोई लाभ नहीं है। किन्तु इस परन्तुक में एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखा गया है कि भारत सरकार ने कुछ को यहां आकर बस जाने की अनुमति दे दी जबकि उसे यह संतोष हो गया कि वे इसी देश में रहना चाहते हैं, किसी अन्य देश में नहीं, और वे इस देश को अपना समझते हैं। यह आश्वासन देने के पश्चात् अब भारत सरकार की ओर से यह कहना अत्यधिक अन्याय होगा कि उन्हें भारत की नागरिकता के अधिकारों का हक नहीं है। यह परन्तुक, यह कहकर कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के अधिकारों का हक होगा, भारत सरकार की प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रतिज्ञा की रक्षा करता है। यह 5-कक के सामान्य नियम में अपवाद है, जिस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, सोच समझकर और जानबूझ कर पाकिस्तान चला गया हो तो उसे हमारे देश की नागरिकता के अधिकार का दावा करने का हक नहीं रहेगा। भारत सरकार के वचन का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस परन्तुक का यही उद्देश्य है।

कुछ लोगों के दिमागों में कुछ भ्रांति सी है कि सम्पत्ति के अधिकारों का नागरिकता से कोई संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अथवा देशीय विधि में नागरिकता के अधिकारों और सम्पत्ति के अधिकारों में कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी देश का नागरिक होने से ही किसी सम्पत्ति पर कोई विशेष अधिकार नहीं मिल जाता। हमारे कई राष्ट्रीयों के पास संयुक्त राज्य में, जर्मनी में, इंग्लिस्तान में और अन्य कई देशों में सम्पत्ति है, किन्तु यह उनके उन देशों के नागरिक होने पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रीयता या नागरिकता का सम्पत्ति की विधि से कोई संबंध नहीं है। साथ ही ऐसी स्थिति हो सकती है कि सम्पत्ति पर नियंत्रण करना पड़े। उदाहरण के लिये, युद्ध में, स्थिति ऐसी हो सकती है कि राज्य को शत्रु-सम्पत्ति पर अथवा विदेशियों की सम्पत्ति पर कुछ नियंत्रण करना पड़े। इसका यह अर्थ नहीं है कि विदेशियों की या शत्रु की सम्पत्ति जब्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रों के किसी सिद्धांत में इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जाती।

अनुच्छेद 5-ख में, हमने अपने उन राष्ट्रीयों के लिये उपबन्ध किये हैं जो भारत के बाहर, स्ट्रेट सेटेल्मेंट और अन्य स्थानों में रहते हैं। वे मातृ-भूमि से अपना संबंध बनाये रखने के लिये आतुर हैं। उन्होंने उन राज्यों में नागरिकता के लिये अर्ह होने के अधिकार अर्जित किये हों या न किये हों, पर उन मामलों में जबकि वे इस देश में जन्मे हों या यदि वे इस देश में उत्पन्न व्यक्ति के पुत्र या पौत्र हों तो, उन्हें नागरिकता का अधिकार दे दिया जाता है। वे इस देश

[श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर]

को बहुत समय पूर्व छोड़ गये थे और अन्य देश में चले गये थे क्योंकि हम उन्हें जीविका के आवश्यक साधन नहीं प्रदान कर सके थे—कम से कम अंग्रेजी शासन में तो यही बात थी। (हमें आशा करनी चाहिये कि हम उनसे अधिक सफल रहेंगे)। पर फिर भी वे मातृभूमि से अपने संबंध रखने के लिये आतुर हैं, उनका इस देश से आत्मीय संबंध है और वे हमारे देश के नागरिक ही रहना चाहते हैं। वे भी नागरिकता के हकदार होंगे। अनुच्छेद 5-ख का यह उद्देश्य है।

जैसाकि प्रधान मंत्री ने अनेक अवसरों पर कहा है, हमने यह विद्यमान मस्विदा बहुत से अधिवेशनों और बहुत से सम्मेलनों के पश्चात् बनाया है जिनमें भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया गया था। हां, सबको संतुष्ट करना सम्भव नहीं है, और ऐसा सूत्र बनाना सम्भव नहीं है जिससे सब प्रभावित व्यक्ति संतुष्ट हो जायें।

हम असाम्प्रदायिक राज्य के सिद्धांतों के लिये प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हम उन लोगों के बीच, जिन्होंने दूसरे देश को स्वेच्छा से और जानबूझ कर अपना घर बना लिया हो, और उन लोगों के बीच, जो इस देश से अपना संबंध बनाये रखना चाहते हैं, अन्तर कर सकते हैं। किन्तु हम मूलवंशीय या धार्मिक या अन्य आधारों पर एक प्रकार के लोगों और दूसरे प्रकार के लोगों में, एक संप्रदाय और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों में अंतर नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपनी प्रतिज्ञाओं का और विभिन्न अवसरों पर अपनी नीति के सूत्रण का ध्यान रखना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत रूप में अनुच्छेदों का और मेरे मित्रों श्री गोपालस्वामी आयंगर तथा श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के संशोधनों का भी समर्थन करता हूं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेदों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं; और मैं विशेषत: उस परन्तुक का समर्थन करना चाहता हूं जो श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने प्रस्तावित किया तथा जिसे डॉ. अम्बेडकर ने अब स्वीकार कर लिया है और जो अब डॉ. अम्बेडकर के प्रस्तावित अनुच्छेद में समाविष्ट कर दिया गया है। यह अनुच्छेद और विशेषत: वह परन्तुक महात्मा जी की स्मृति में श्रद्धांजलि है जिन्होंने हिन्दुओं और मुस्लिमों में अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। श्रीमान, यह परन्तुक उन सब मुस्लिमों को जो इस देश को छोड़ गये हैं वापस आकर यहां बस जाने के लिये आमंत्रित करता है, सिवाय उनके जो कि जासूस, गुप्तचर, पंचमांगी और साहसी हों। मैं चाहता हूं कि यह उपबन्ध अधिक विस्तृत होता। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के सब लोगों को, यदि वे चाहें तो, इस देश में आकर रहने के लिये आमंत्रित किया जाये। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मैं आदर्शवादी नहीं हूं। मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि हम इस सिद्धांत, इस नीति, इस आदर्श के लिये दृढ़ संकल्प हैं। महात्मा गांधी राजनीति में आये उससे बहुत पहले अभिलिखित इतिहास से शतियों पूर्व, इस देश में हिन्दू और मुस्लिम एक थे। महात्मा गांधी के जीवनकाल में हम सहोदर भ्राता थे। क्या मैं जान सकता हूं कि विभाजन के पश्चात् क्या ये सहोदर भ्राता अनजान और विदेशी हो गये हैं? श्रीमान, यह एक कृत्रिम विभाजन हुआ है। मेरे विचार में विभाजन की शरारत को विभाजन के वैधानिक तथ्य के परे नहीं बढ़ने देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि एशिया के

समस्त लोगों की सामान्य नागरिकता हो, और इसके लिये आरम्भिक उपाय के रूप में समूचे एशिया की शांति और प्रगति के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य नागरिकता की स्थापना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्रीमान, श्री जसपतराय कपूर ने इस परन्तुक की इस आधार पर आलोचना की हैं कि इससे जासूसों और गुप्तचरों को इस देश में आने का अवसर मिलेगा। किन्तु मेरे विचार में इस देश के मुस्लिम राज्य के इतने ही निष्ठावान हैं जितने कि हिन्दू हैं। दूसरी ओर मैं प्रधान मंत्री के वक्तव्य से सहमत हूं जो उन्होंने दूसरे स्थान पर दिया था कि आज भारत की सुरक्षितता को मुस्लिमों से आशंका नहीं है हिन्दुओं से है।

मेरे मित्र श्री जसपतराय कपूर ने जो दूसरा प्रश्न उठाया था वह यह था कि हमें इस परन्तुक के आर्थिक परिणामों की ओर ठीक ध्यान रखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि यह तर्क पेश नहीं किया जाता। हम दुकानदारों का राष्ट्र नहीं है; हम राम को छोड़कर कुबेर की पूजा नहीं कर सकते चाहे आर्थिक परिणाम कुछ भी हो हम कुछ सिद्धांतों पर स्थिर रहना चाहते हैं। कुछ नैतिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहकर ही राष्ट्र उन्नति करते हैं। जीवन का पर्दार्थिक विकास प्रगति और सभ्यता का प्रतीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह राजनीतिज्ञता या राजनीति है कि ठीक राजनैतिक सिद्धांतों को सस्ती अर्थ व्यवस्था के अधीन कर दिया जाये। मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि एक मुस्लिम को, जो इस देश का नागरिक हो, इस संविधान के प्रारम्भ पर अपनी नागरिकता से क्यों वंचित किया जाये, विशेषत: जबकि हम उन हिन्दुओं को भारत का नागरिक बनने के लिये आमंत्रित कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत आये हैं। जो लोग कभी भारत में नहीं रहे वरन पंजाब में और सीमान्त में सदा रहते रहे हैं वे आकर नागरिक बन गये हैं; फिर सीमान्त का एक मुसलमान क्यों नहीं बन सकता जबकि हम सदा यह कहते रहे हैं कि हम एक हैं।

यह कहा गया है कि विभाजन के कारण ही इतना सामूहिक प्रव्रजन हुआ है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कालातीत श्री जिन्ना जनसंख्या विनियम के सिद्धांत का समर्थन करते थे। हमने नहीं माना। उस मांग को ठुकराने का अर्थ यह था कि विभाजन के कारण इस देश के मुस्लिमों की निष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभाजन या अविभाजन, कुछ हो, मुसलमान इस देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे। श्री जिन्ना की मांग को ठुकराने का यह अर्थ था। और हम कैसे कह सकते हैं कि विभाजन के कारण ही यह सामूहिक प्रव्रजन हुआ है? यह बात समझ लेनी चाहिये कि सामूहिक प्रव्रजन का कारण देश के कुछ भागों में हुए दंगे और गड़बड़ थी। अब भी दोनों सरकारों के बीच संबंध स्थिर नहीं हुए हैं; और दोनों राज्यों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होने पर ही सुरक्षितता हो सकती है और जो लोग इस देश के थे और इस देश के नागरिक थे वे इस देश में वापस आकर बस सकते हैं।

मौलाना मुहम्मद हिफ़जुर रहमान (संयुक्त प्रांत: मुस्लिम): सदर साहब आर्टिकल 5 में जो इस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मौजूदा अमेंडमेंट शक्ल में हमारे सामने है, उसको मैंने जहां तक देखा है और मुताला किया है मैं यह समझता हूं कि इसमें बड़ी हद तक सिटीजनशिप के बारे में उन हकूक के लिये जो एक शहरी को बहैसियत शहरी के मिलने चाहियें, काफी कोशिश की गई है और

[मौलाना मुहम्मद हिफ़्जुर रहमान]

दोनों ही बातों का लिहाज रखा गया है। एक तरफ इस बात की कोशिश है कि एक शहरी को अपना पूरा हक बहैसियत शहरी के मिलना चाहिये। दूसरी तरफ इस बात का भी लिहाज रखा गया है और सोचा गया है कि गलत तरीके से अगर कोई शख्स शहरी बनने की कोशिश करे तो उसके लिये जो सेफगार्ड और तहफुज हो सके उसकी जानिव भी पूरी तवज्जह की जाये। यह बात बहुत ज्यादा काबिल तारीफ और मेरे नजदीक बहुत हद तक ठीक है। इस सिलसिले में प्राईमिनिस्टर साहब ने और गोपालस्वामी साहब ने जिस पोलिसी और प्रिंसिपल का इजहार फरमाया है वह भी हमारे अन्दर बहुत ज्यादा इतमीनान पैदा करता है। लेकिन इसके बावजूद मैं इसमें दो चीजों की कमी महसूस करता हूं। और उनकी तरफ तवज्जह दिलाना जरूरी समझता हूं। इसमें शक नहीं कि पहले उन लोगों के बारे में जो परमानेंट परमिट लेकर आये हैं, कोई तकसोलात मौजूद नहीं थी। लेकिन इस मर्तबा इस बात को भी बयान कर दिया गया है कि जो लोग परमानेंट परमिट लेकर आये हैं, उनको भी एक खास तरीके से सिटीजन और शहरी सुधार किया जाये। दूसरी चीज काबिले तवज्जह यह है कि जो तारीख इसमें रखी गई है, उस तारीख में खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस नोटिफिकेशन का ख्याल गालिबन नहीं रखा गया है जिसके जरिये मुख्तलिफ औकात में गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए रियायत दी थी। क्लाज 5 में अव्वल इन तीन चार दफात का जिक्र है जो एक शहरी होने की हैसियत से इन पर कोई पाबन्दी और शर्त नहीं लगातीं और उन्हें मान लिया गया है कि यह नम्बर एक दो तीन चार इस तरीके से सिटीजन और शहरी शुमार होंगे। लेकिन आगे 5 ए में जब इसका जिक्र आया है कि और कौन कौन शहरी शुमार किये जायेंगे उसमें कहा गया है कि 19 जुलाई सन् 48 तक जो लोग आ गये हैं उनको शहरी शुमार किया जायेगा। लेकिन इसके बाद के आने वालों को दरख्वास्त देकर अपने आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। इसके लिए रजिस्ट्री की शर्त जरूरी कर दी गई है। मैं यह गुजारिश करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें जो तारीख दर्ज है, वह 10 सितम्बर की है। उसमें कहा गया है कि अगर लोकल अथार्टीज उनके परिमिटों को जायज करार दें और उन परिमिटों को तसलीम करें और उनको शहरी मान लें तो वह लोग यह हक रखते हैं कि वह यहां के शहरी तसब्बुर किये जायें।

मैं गुजारिश करूंगा कि चाहे वह लोग यहां पर परमानेंट परमिट लेकर आये हों या किसी दूसरे हैसियत से आये हों अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी नोटिफिकेशन के जरिये से इस बात की सहूलियत दी है कि 10 सितम्बर तक जो लोग आये हैं उनको हम यहां क शहरी तस्लीम करेंगे तो चाहिये यह था कि उसको इस अमेंडमेंट में ही बरकरार रखा जाता। पहली अमेंडमेंट जिसमें 1 अगस्त सन् 1948 रखा था उसकी जगह पर 19 जुलाई सन् 1948 नहीं दर्ज होना चाहिये बल्कि इसके लिये इन्साफ का तरीका यह था कि बजाय 19 जुलाई के 11 सितम्बर कर दिया जाता। ताकि हर एक शहरी को अपना हक शहरियत हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिल जाता। इससे यह होता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें जो तारीख मुकर्रर हुई है उसके मुताबिक 10 सितम्बर तक आने वालों को भी बगैर शर्त शहरी तस्लीम कर लिया जाता।

दूसरा सवाल यह है कि परमानेंट परमिट लेकर जो आदमी यहां आये हों उनको शहरी तस्लीम करने के लिए उन पर रजिस्ट्री की शर्त लगा दी गई है। इस बारे में मैं यह गुजारिश करूंगा कि 19 जुलाई से 10 सितम्बर तक जो लोग आये हैं, कहा गया है, उनके बारे में तहकीकात होगी और उसके बाद उनको शहरी तसब्बुर किया जायेगा। इन पर इस किस्म की जो यह पाबन्दी लगाई गई है, यह किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है और इंसाफ और जस्टिस के खिलाफ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं और हाउस को भी अच्छी तरह से मालूम है कि जिन लोगों को परमानेंट परमिट दिये जाते हैं, उनको तभी शहरी तसब्बुर किया जाता है, जबकि इस बारे में अच्छी तरह से पहले तहकीकात कर ली जाती है कि इन परमिट वालों में से कोई ऐसा आदमी तो नहीं है, जो कि साजिशी हो या धोखेबाज हो या अपना कारोबार समेटने के लिए यहां आया हो। इन तमाम चीजों की तहकीकात लोकल हुक्काम करते हैं और इसके बाद उसको परमानेंट कर देते हैं। यानी लोकल हुक्काम को जब पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है, तभी वह परमानेंट करते हैं। इससे पहले किसी तरह इसे परिमिट को मंसूख नहीं करते। इस पर भी अगर आप रजिस्ट्री के लिए दरख्वास्त देने और रजिस्टर्ड कराने की पाबन्दी लगाते हैं, तो यह बयीद अज इंसाफ है। इसलिए कि यहां यह चीज भी साफ नहीं की गई है कि आया उस शख्स को अपनी शहरियत का हक हासिल करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देना ही काफी है, या इस बात की जरूरत है कि जब वह दरख्वास्त करे तो उसके बाद उसके बारे में लोकल हुक्काम तहकीकात करेंगे और तहकीकात के बाद अगर वह पूरी तौर मुतमियिन हो जायेंगे तब उसको बहैसियत एक शहरी के रजिस्टर्ड करेंगे, वरना उसकी दरख्वास्त नामंजूर कर देने का हक रखेंगे।

आपको मालूम है कि हिन्द यूनियन में इस वक्त तक हजारों की तादाद में लोग आ चुके हैं और ऐसे भी हजारों लोग हैं जो कि झगड़ों के बाद जल्द आ गये थे और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देर से आये हैं। इसलिये कि उनको परिमिट हासिल करने में दिक्कतें पेश आई और उनको वक्त पर परिमिट हासिल न होने की वजह से देर से आना पड़ा। हमें पिछले दिनों से इसका तजुरबा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से वापस आकर अपने परिमिटों को मंसूख कराने और परमानेंट और हिन्द यूनियन के शहरी होने के मुतल्लिक लोकल हुक्काम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक दरख्वास्तें दें कि उनको परमानेंट नहीं किया गया और परिमिटों को उनकी मियाद के अन्दर मन्सूख नहीं किया। हमारा तजुरबा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अक्सर इस किस्म की मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। चुनाचः इन लोगों को अपने मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने इस बात का मुख्तलिफ तरीकों से इतमीनान दिलाया कि उनके बारे में तहकीकात हो रही है और उनकी दरख्वास्तें पुलिस में तहकीकात के लिये भेज दी गई हैं। वहां से जवाब आने पर तुम लोगों को येस या नो का जवाब दिया जायेगा। लेकिन नतीजा यह निकला कि तीन चार महीने गुजरने के बाद भी उनको कोई जवाब नहीं मिला। और अब जब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा नोटिफिकेशन निकला, तो मुख्तलिफ सूबों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने उनको बगैर येस या नो का जवाब दिये ही इस ऐलान का हवाला देकर कहा कि तुम यहां से वापस चले जाओ। इस तरह से वह लोग जो एक, दो या तीन माह की मुद्दत लेकर यहां पर मुस्तकिल शहरी और परमानेंट होने के लिए आये थे, उनकी दरख्वास्तों को मंसूख कर दिया। और बजाय येस या नो के जवाब के उनको फौरन वापस

[मौलाना मुहम्मद हिफ़्जुर रहमान]

जाने के लिये कहा। ऐसा करने से सैकड़ों, नहीं बल्कि हजारों लोगों को दिक्कतें पेश आई। और इन लोगों को 10 या 15 दिन का मौका भी नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से लोग यू.पी., मशरकी पंजाब और दूसरे सूबों में लोगों को इस बिना पर कैद कर दिया गया कि वह मुद्दत के बाद मजबूरन वापस जा रहे थे। यह वाकया है कि बहुत से लोग जो यहां पर दो या तीन महीने से हक शहरियत हासिल करने के लिये आये थे, उनकी दरख्वास्तों पर इतने अर्से में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा नोटिफिकेशन निकला और उसके बाद जब उनको इसका हवाला देकर कहा गया कि तुम वापस चले जाओ, तो उन्होंने 10, 15 दिन की मोहलत मांगी, मगर उनको मोहलत भी नहीं दी गई। चुनाचः इसके बाद अगर कोई इस ख्याल से रुका रहा कि वह मजीद दरख्वास्त करे, तो उसका नतीजा यह हुआ कि वह जेल भेज दिया गया। चुनाचः कुछ लोग अब तक जेलों में सड़ रहे हैं। जो लोग यहां पर परमानेंट परिमिट लेकर आये हैं, और उनको शहरी तसब्बुर करने के लिए रजिस्ट्रशन की जरूरत है, तो अगर उनको इस रजिस्ट्री के लिये सिर्फ दरख्वास्त ही देनी होगी, जिसके बाद वह रजिस्टर्ड कर लिये जायेंगे, तो यह बात किसी हद तक ठीक है। मगर इस बात को यहां तक साफ करना चाहिये कि न उनको रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक दरख्वास्त देने की जरूरत होगी, जिस पर वह बहैसियत शहरी के रजिस्टर्ड कर लिये जायेंगे। आप यहां जो कान्स्टीट्यूशन पास कर रहे हैं, उसके पास होने से किसी को भी दुशवारी नहीं होनी चाहिये। अगर आप इस बात को यहां पर साफ नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि यह एक नाइंसाफी की जा रही है। क्योंकि अगर दरख्वास्त देने के बाद दुबारा तहकीकात की जाये और तहकीकात खत्म होने पर ही उनको कहा जायेगा कि तुम्हें रजिस्टर्ड किया जायेगा या नहीं तो आप खुद अन्दाजा लगायें कि क्या यह इंसाफ की बात है। मैं तो इसको इंसाफ के खिलाफ समझता हूं और हजारों हकीकी शहरियों के लिये मुश्किलात का बायिस तसब्बुर करता हूं। जब आपने इनको परमानेंट परिमिट देकर इस बात की इजाजत दी है कि वह यहां रहने के लिए आयें, तो आप जो यहां पर यह कांस्टीट्यूशन बना रहे हैं, उसकी रूह से इन लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वह रजिस्ट्री के लिए दरख्वास्तें दें। फिर इनकी दरख्वास्तों पर लोकल हुक्काम तहकीकात करें और उस तहकीकात के बाद वह उनकी बतायें कि आया वह इस काबिल हैं कि बहैसियत शहरी के रजिस्टर्ड कर दिये जायें या नहीं। आपको मालूम है कि हजारों की तादाद में मेवोज, जो फसादात की वजह से अपने घरों को छोड़कर चले गये थे, वह वापस आये हैं। अगर इन लोगों के साथ ऐसा किया जाये तो यह कहां का इंसाफ होगा। इस बिना पर इस 5-एए में इसको साफ होना चाहिये और रजिस्ट्रेशन की पोजीशन यह होनी चाहिये कि लोकल हुक्काम को किसी तरीके से रद्द करने का हक न हो। जब इस क्लाज का निफाज हो, और जब यह उसूल तय हो जाये तो साफ-साफ ऐलान होना चाहिये और नोटिफिकेशन होना चाहिये कि किसी को रद्द नहीं किया जायेगा। सिर्फ जाब्ता के लिये रसम पूरी करनी होगी। चूंकि वह बाद में आये हैं इसलिये वह अपने को रजिस्टर्ड करा लें। और अगर इसमें तफतीस और इंक्वायरी का मौका है तो मैं कहूंगा कि यह हरगिज नहीं होना चाहिये। यकीनन इसमें तरमीम और नजरसानी होनी चाहिये और मौका देना चाहिये, उन लोगों को जो यहां के रहने वाले थे और गड़बड़ की वजह से चले गये थे। और फिर यहां किसी माल, मकान या जायदाद को समेटने के लिये नहीं बल्कि अपना घर बनाकर रहने के

लिये आये हैं, जो कि गरीब हैं, मेव हैं और हिन्द के मुख्तलिफ हिस्सों के रहने वाले हैं। मुसलमान भी हैं और नानमुसलमानों में क्रिश्चियन और दूसरे लोग भी होंगे, इनको मुख्तलिफ तरीकों से आसानियां बहम पहुंचाना चाहिये और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनको दिक्कत पेश आयेगी। लोकल हुक्काम के हाथ इनको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिये मेरी ख्वाहिश है कि इसमें दो तरमीमें होनी चाहिये।

एक तरमीम 5ए में इस बात की होनी चाहिये कि जो तारीख मुकर्रर की गई, है वह गवर्नमेंट के आखिरी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अगस्त और 19 जुलाई नहीं, बल्कि इसके बजाय 11 सितम्बर सन् 1948 रखना चाहिये। अगरचः इसमें महीने डेढ़ महीने का ही फर्क पड़ता है, लेकिन हजारों आदमियों को सिटीजन होने के बाद वह शहरी हक जो उनको जरूर मिलने चाहियें वह मिल सकेंगे और उनसे वह फायदा उठा सकेंगे।

दूसरी तरमीम मेरी यह है.....

अध्यक्षः मौलाना इस तरह की तरमीम तो कोई नहीं आई।

मौलाना हिफ़्ज़ुर रहमानः जी, तरमीम मैंने पहले नहीं पेश की। लेकिन मैंने ड्राफटिंग कमेटी के बाज मैम्बरान डाक्टर अम्बेडकर और श्री गोपालस्वामी आयंगर की तवज्जह दिलाई थी। पहले अमैंडमेंट के मुकाबले में उनकी जानिव से इस मौजूदा अमैंडमेंट में परमानेंट परिमिट हासिल करने वालों के मुताल्लिक यह क्लाज इसी गुफ्तगू का नतीजा है। ताहम मैं इसमें यह कमी महसूस करता हूं। इसलिए अब सिवाय इसके कोई हक नहीं है कि मैं यहां इजहार ख्याल करूं और इसे ड्राफटिंग कमेटी के सामने पेश करूं। और अगर इसमें कोई कानूनी सूरत हो सकती है, तो वह इस पर दुबारा तवज्जह करें।

बहरहाल दूसरी चीज के बारे में मैं खुसूसियत के साथ यह जरूर कहूंगा कि इन लोगों को आपने इस क्लाज में अगर शामिल किया है, तो उनको वह शहरी राईट मिलने चाहियें, क्योंकि वह यहां के सिटीजन हैं, और गड़बड़ के जमाने में चले गये हैं। लोकल गवर्नमेंट ने और लोकल हुक्काम ने अपने कायदों के मुताबिक जांच करके उनको यहां का शहरी तस्लीम कर लिया और सिटीजन मान लिया। अब इनको इन शर्तों के साथ पाबन्द नहीं करना चाहिये कि जब तक वह रजिस्ट्रेशन न करायें, शहरी नहीं होंगे। और अगर वह छह महीने के अन्दर रजिस्ट्रेशन नहीं करायेंगे तो उनके शहरियत के हक चले जायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि कितने ही ऐसे आदमी हैं, जो इन कानूनी चीजों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। यकीनन यह कोई जरूरी नहीं है कि हर शख्त को इन चीजों से वाकिफ होना ही चाहिये। ताहम इसमें इस बात का मौका नहीं दिया गया है कि वह अपने शहरी हक को बाआसानी पा सकें।

पं. ठाकुरदास भार्गवः क्या मौलाना साहब फरमावेंगे कि जिनको परमिट दिया गया था, उनको सिटीजन किस माने के अन्दर माना गया है?

मौलाना हिफ़्ज़ुर रहमानः मौजूदा कानून में।

पं. ठाकुरदास भार्गवः इसमें हरगिज नहीं माना गया है।

मौलाना हिफ़्ज़ुर रहमानः यकीनन माना गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने कहा है कि वह यहां के वाशिन्दे हैं।

पं. ठाकुरदास भार्गवः वाशिन्दे नहीं हैं।

मौलाना हिफ़्ज़ुर रहमानः नहीं है। मेरे पास कानूनी सबूत मौजूद हैं, जिसमें तहरीर है कि ये हिन्द यूनियन के वाशिन्दे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक हम इसको यहां का सिटीजन शहरी मानते हैं। यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से है, जो कि इन परिमिटों पर लिखा गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो मुश्किलात इनके लिये हैं, इनको यहां के वाशिन्दों की हैसियत से देखना चाहिये। जहां तक यहां के रहने वालों का सवाल है, आपने कोई शर्त और पाबन्दी नहीं रखी है। अलबत्ता अगर वह यहां से चले जाने वाले हों, तो इसके लिए दूसरा कानून है, दूसरा तरीका है जिसके जरिये से इसकी सिटीजनशिप मन्सूख करने के लिये अख्तियार दिये गये हैं। लेकिन जिनको आपने इन परिमिटों में शहरी मान लिया है, इनको कैंसिल और मन्सूख करने का हक लोकल हुक्काम के हाथ में हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं इसको इंसाफ और जस्टिस के खिलाफ समझता हूं और चाहता हूं कि इन लोगों को ये दो हक जरूर मिलने चाहियें।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): अध्यक्ष महोदय, नागरिकता का प्रश्न 1947 से सभा के समक्ष है। जब उस वर्ष इस प्रश्न पर बहस हुई थी, तब नागरिकता को निश्चित करने के लिये जो कसौटियां रखी गई थीं, उनकी मूलाधिकार समिति ने दो आधारों पर आलोचना की थी, कि वे बहुत संकीर्ण थीं या बहुत विस्तृत थीं। अब हमारे सामने जो मस्विदा है, वह उस मस्विदे से अधिक पूर्ण है, जो 1947 में मूलाधिकार समिति हमारे समक्ष रख सकी थी, फिर भी हम देखते हैं कि इसकी आलोचना उन्हीं पुराने आधारों पर हुई है। डॉ. अम्बेडकर ने हमारे समक्ष रखे हुए अन्तिम मस्विदे के उपबन्धों की कल स्पष्ट व्याख्या की है। जहां तक मैं अब तक के वाद-विवाद से समझ पाया हूं, अनुच्छेद 5 पर बहुत कम आलोचना हुई है। इसी प्रकार प्रोफेसर के.टी. शाह के अतिरिक्त किसी भी वक्ता ने अनुच्छेद 5-ख के उपबन्धों की आलोचना नहीं की है या शायद ही की हो। आलोचना अनुच्छेद 5-क पर केन्द्रित हुई है।

मैं पहले अनुच्छेद 5 तथा 5-ख की आलोचना को संक्षेप में निबटा करके फिर उन लोगों के विषय में बोलूंगा, जो यह समझते हैं कि अनुच्छेद 5-क से लोगों के लिये भारत के नागरिक बनना अत्यंत सरल हो जायेगा। पहली बात जो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं, वह यह है कि मस्विदे में यही लिखा है कि संविधान के आरम्भ में भारत के नागरिक कौन समझे जायेंगे। अनुच्छेद 5 से 5-ग तक में जो अर्हताएं रखी गई हैं, उनमें कोई वस्तु स्थायी नहीं है। अनुच्छेद 6 से यह सर्वथा स्पष्ट है कि इन अनुच्छेदों के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति और सब सम्बद्ध विषयों पर कोई भी उपबन्ध बनाने का अधिकार होगा। अतः अनुभव से जो त्रुटियां पता लगें, वे आसानी से दूर की जा सकती हैं।

इस प्रस्तावना के साथ मैं संक्षेप से उन बातों का निर्देश करना चाहता हूं, जो प्रस्थापित अनुच्छेद 5 के खंड (क) की आलोचना में कही गई हैं। एक वक्ता ने, मुझे विश्वास है डॉ. देशमुख ने, कहा कि यदि इस अनुच्छेद को विद्यमान रूप में रखा गया तो कोई व्यक्ति, जिसके जन्म के समय उसकी माता भारत में से गुजर रही हो, भारतीय नागरिक बन जायेगा। यह तो इस अनुच्छेद का बिल्कुल

गलत अर्थ है। इस अनुच्छेद के प्रारंभिक शब्दों में पहली ही शर्त यह है कि अनुवर्ती उपबन्ध केवल उन्हीं लोगों पर लागू होंगे जिनका भारत के राज्य-क्षेत्र में अधिवास हो। अतः किसी विदेशी यात्री का पुत्र, जो भारत में से गुजर रहा हो, ऐसे ही नागरिक नहीं बन सकता, भारत में उसका जन्म होने के ही नाते भारत का नागरिक नहीं बन सकता। क्या केवल यहां जन्म हो जान से ही किसी व्यक्ति को इस देश का अधिवासी माना जा सकता है?

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रांत तथा बरार : जनरल): यह तो किसी ने नहीं कहा।

***पं. हृदयनाथ कंजरू:** हूं, किसी वक्ता ने कहा है।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मैंने तो यह कभी नहीं कहा।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** अस्तु, यदि डॉ. देशमुख को यह बात स्पष्ट याद है, या उन्होंने इस विषय में अपना अभिप्राय बदल लिया है, तो अब उनका जो मत है उससे मैं सहर्ष सहमत हूं।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र ने मेरी वस्तृता को ध्यान से सुना हो।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** जब माननीय सदस्य बोले थे, तब मैं सदन में था, किन्तु हो सकता है मैं उनकी बात को ठीक न समझ पाया हूं या मैंने ठीक प्रकार से न सुना हो। पर अब डॉ. देशमुख के कथन से यह प्रतीत होता है कि इस सदन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसे अनुच्छेद 5 के विरुद्ध कुछ भी कहना हो।

अब मैं अनुच्छेद 5-ग पर आता हूं। प्रोफेसर के.टी. शाह ने जब उस संशोधन की सूचना दी थी, तब शायद के मलाया के भारतीयों के विषय में सोच रहे थे कि यदि किसी देश की राष्ट्रीय विधि के अनुसार यह अपेक्षित नहीं है कि किसी व्यक्ति को उस देश की नागरिकता अर्जन करने के लिये अपने पूर्वजों के देश की नागरिकता का परित्याग करना आवश्यक है, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी विधि उसे भारतीय नागरिकता का दावा करने से वंचित करे। जब से हमें संविधान के मस्विदे की प्रति मिली है, मैंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों की स्थिति पर बहुत विचार किया है। उसी समय से मैंने यह प्रयत्न किया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को, कम से कम कुछ विशेष स्थानों के भारतीयों को, कठिन शर्तें पूरी किये बिना ही भारतीय नागरिक मान लिया जाये। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अनुच्छेद 5-क की रचना इस प्रकार की गई है कि उन लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा गया है, जो शायद उपरोक्त संशोधन भेजते समय प्रो. शाह के दिमाग में थे। स्पष्ट है कि हम उस व्यक्ति को अब भी भारतीय नागरिक नहीं मान सकते, जिसके पूर्वज दो सौ वर्ष अन्य देश में जा बसे थे। ऐसी अवधि की कोई सीमा अवश्य होनी चाहिये, जिसमें भारतीयों के वंशजों को भारतीय माना जा सके, चाहे वे भारत के बाहर रहते हैं। अनुच्छेद 5-ग में उल्लिखित है कि "कोई व्यक्ति जो या जिसके जनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई भारत सरकार के अधिनियम 1935 (यथा मूलतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यता इस प्रकार

[पं. हृदयनाथ कुंजरू]

परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, भारत का नागरिक समझा जायेगा" यदि उसने कुछ शर्तों को पूरा कर दिया है। अब शर्त यह है कि उसे उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा पंजीबद्ध होना चाहिये। अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 5-ग में केवल मलाया में ही रहने वाले भारतीयों के अधिकारों का ही नहीं वरन अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों के भी अधिकारों का ध्यान रखा गया है, जहां उन भारतीयों की स्थिति के विषय में संदेह हो जो वहां बहुत समय से रह रहे हैं। यदि उनमें कोई ऐसे व्यक्ति हों जो अपने आप को अब भी भारतीय नागरिक समझते हों, तो उन्हें अनुच्छेद 5-ग के अंतर्गत भारतीय नागरिकता का दावा करने का अवसर मिलेगा। यदि कोई अनुच्छेद 5-ग के उपबन्धों से लाभ उठाकर भारतीय नागरिक के रूप में पंजीबद्ध नहीं होता, तो यह बात उस देश के प्राधिकरण की दृष्टि में जहां वह रह रहा है, क्या होना चाहिये कि वह भारतीय नागरिक नहीं है, वरन अपने प्रवास के देश का नागरिक है।

अब मैं अनुच्छेद 5-क को लेता हूं। इसी अनुच्छेद पर कल से सदस्यों का ध्यान केन्द्रित है। इसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसके उपबन्ध अवांछित रूप से विस्तृत हैं और इससे उन लोगों के लिये नागरिकता का द्वार खुल जाता है, जिन्हें भारतीय नागरिक कहलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं इस अनुच्छेद के आलोचकों से व्यक्तिगत रूप में सहमत नहीं हूं। हमें शांति से विचार करना चाहिये कि अनुच्छेद 5-क में क्या उपबन्ध है और क्या परिस्थितियां हैं, जिनसे ऐसे अनुच्छेद को संविधान में रखना आवश्यक हो गया है। अनुच्छेद 5-क और 5-कक में असाधारण उपबन्ध हैं, जो विद्यमान असाधारण परिस्थितियों से पैदा हुए हैं, भारत विभाजन द्वारा पैदा हुई असाधारण स्थिति से पैदा हुए हैं। आप ऐसे उपबन्ध किसी अन्य देश के संविधान में नहीं पायेंगे। हमें उन लोगों की स्थिति को स्पष्टतः परिभाषित करना है जिन्हें भारत-विभाजन के समय किसी न किसी कारण से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। यहां ऐसे व्यक्तियों की संख्या इतनी बड़ी है कि उनकी स्थिति पर विचार करना पड़ा है। इन लोगों के प्रतिनिधियों ने प्रत्येक प्रयत्न किया कि इन लोगों को आरम्भ से ही भारत के नागरिक मान लिया जाये, और उन्हें कोई शर्तें पूरी न करनी पड़ें। संविधान के मस्विदे में उपबन्ध था कि बाहर से भारत में आने वाले लोगों को अपने आप को भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीबद्ध करवाना चाहिये और अपना अधिवास सिद्ध करने के लिए उन्हें यह दिखाना चाहिये कि वे पंजीयन से पूर्व एक मास तक भारत में निवासी थे। पर ये शर्तें शरणार्थियों के प्रतिनिधियों को स्वीकार्य नहीं थीं। वे चाहते थे कि इन लोगों को बेशर्त ही भारतीय नागरिक मान लिया जाये। अतः अनुच्छेद 5-ग में यह बात रख दी गई है कि वे सब लोग, जो पाकिस्तान में अपने घरों को 19 जुलाई, 1948 से पहले स्थायी रूप में छोड़कर भारत प्रव्रजन कर आये, वे किसी शर्त को पूरी किये बिना ही भारत के नागरिक होंगे, यदि वे प्रव्रजन के पश्चात् यहां रहते रहे हैं।

तत्पश्चात्, अनुच्छेद 5-क में जिन व्यक्तियों की चर्चा है, उनमें अगली श्रेणी उन व्यक्तियों की है, जो 19 जुलाई, 1948 से भारत को प्रव्रजन कर आये हैं। यदि हम उन लोगों की बात सुन लेते, जो यह चाहते हैं कि उन सब लोगों

को बिना पूछताछ किये और बिना किसी शर्त के भारत का नागरिक मान लिया जाये, जो अब तक पाकिस्तान से आये हैं या जो संविधान की आरम्भ तिथि तक पाकिस्तान से आयेंगे, तो मुझे विश्वास है कि इस अनुच्छेद पर अधिक कड़ी आलोचना होती। फिर यह बात सकारण कही जा सकती थी कि इससे उन लोगों को भारतीय नागरिकता अर्जन करने का अवसर मिल जाता, जिन्हें उनका कोई हक नहीं है।

श्रीमान, यह भी कहा गया है कि हमें यह विचार करना चाहिये कि क्या, पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन के अनुसार, इस अनुच्छेद के उपबन्धों को अधिक कड़ा न बना दिया जाये, जिससे कि यह केवल उन्हीं पर लागू हो जो असैनिक उपद्रवों या ऐसे उपद्रवों की आशंका के कारण अपने घर छोड़ आये हैं। यदि ऐसी शर्त रखी गई तो यह बहुत अद्‌भुत बात होगी। किसी व्यक्ति के लिये यह सिद्ध करना कैसे संभव होगा कि उसने अपना घर उपरोक्त किसी कारण विशेष से छोड़ा है? और पंजीयन-अधिकारी कैसे निश्चय कर सकेंगे कि उसका दावा ठीक है या नहीं? पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन पर एक और भी गंभीर आपत्ति है। वे कहते हैं कि भारत की नागरिकता उन लोगों को ही प्राप्त नहीं होनी चाहिये जो असैनिक उपद्रवों के कारण या ऐसे उपद्रवों से आक्रांतित होकर भारत आ गये हैं, वरन उनको भी प्राप्त होनी चाहिये, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में अधिवासी थे और विभाजन से पूर्व भारत में रहते हुए उन्होंने अब स्थायी रूप से भारत में रहने का निश्चय कर लिया है, या इस समय पाकिस्तान में अंतर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर आये हैं। अब उनके संशोधन में सर्वप्रथम इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिये "having the domicile of India" हम जानते हैं कि इन शब्दों से कठिनाइयां हो चुकी हैं। हम जानते हैं कि जब निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधी अनुच्छेद सदन में पेश किये गये थे, तब इस संबंध में क्या कहा गया था।

***पंडित ठाकुरदास भार्गवः** श्रीमान, क्या मैं यह संकेत कर सकता हूं कि अनुच्छेद 5 में भी ये शब्द हैं, "having the domicile of India" यहां भी ठीक ये ही शब्द हैं।

***पं. हृदयनाथ कुंजरूः** यह सच है, पर जैसे मेरे माननीय मित्र जानते हैं, इस संबंध में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। किन्तु उनके संशोधन पर अन्य आपत्तियां भी हैं। उन लोगों को लीजिये, जिन्होंने असैनिक उपद्रवों या ऐसे उपद्रवों के भय से पाकिस्तान नहीं छोड़ा। उन लोगों को लीजिये, जो सिलहट में रहते थे।

***पं. ठाकुरदास भार्गवः** (क) में उल्लिखित व्यक्तियों को नागरिक पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा, क्योंकि वे कभी भी प्रव्रजन करके नहीं आये।

***पं. हृदयनाथ कुंजरूः** 'प्रव्रजन' का अर्थ जहां तक मैं समझा हूं, यही है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती घरों को सदा के लिये छोड़ दिया है और अब भारत में रहने के लिये आ गये हैं। मान लीजिये कि रेडक्लिफ पंचाट के पश्चात् जो लोग सिलहट में रहते थे, अब वे आसाम या बंगाल चले गये हैं। यदि पंडित ठाकुरदास भार्गव का संशोधन स्वीकृत हो जाये तो उनकी स्थिति क्या होगी? फिर उन लोगों को लीजिये, जो कि 1943 के पश्चात् 1944 या 1945 में प्रांत में आ गये थे। उन्हें इस देश में देशीय बनने का समय नहीं मिला और ऐसे व्यक्तियों

[पं. हृदयनाथ कुंजरू]

की संख्या बहुत होगी। यदि पंडित ठाकुरदास भार्गव का संशोधन स्वीकृत हो जाये तो उनकी क्या स्थिति होगी? उन्होंने जो संशोधन प्रस्थापित किया है, उससे बहुत कठिनाइयां होंगी जिनका उन्हें ध्यान भी नहीं है। इससे शायद उन लोगों के विषय में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, जो पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल को प्रव्रजन कर आये हैं। उन लोगों के लिये यह सिद्ध करना बहुत कठिन होगा कि उन्होंने असैनिक उपद्रवों या ऐसे उपद्रवों के भय से पूर्वी पाकिस्तान में अपने घरों को छोड़ दिया। अब भी पूर्वी पाकिस्तान में लाखों व्यक्ति हैं। फिर वे लोग कैसे सिद्ध कर सकेंगे कि उनकी इन आशंकाओं का कोई आधार है कि असैनिक उपद्रव हो सकते हैं। इस प्रकार सदन देखेगा कि ठाकुरदास भार्गव के संशोधन से कोई कठिनाई उत्पन्न होने के स्थान पर अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। अत: मैं नहीं समझता कि यह स्वीकृत हो सकता है।

श्रीमान, हमारे समक्ष पेश किये हुए मस्विदे पर एक और आलोचना की गई है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 5-कक पर विरोधी विचारों के लोगों ने आलोचना की है। एक दो सदस्य हैं, जो यह अनुभव करते हैं कि जो लोग भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गये हैं, उन्हें भारत लौटकर भारतीय नागरिकता का दावा करने का अधिकार नहीं देना चाहिये, जब तक कि वे बहुत शर्तों को पूरी न करें। कुछ और लोग हैं जिनका यह ख्याल है कि उन सब व्यक्तियों को, जो विभाजन के पश्चात् इस देश को छोड़कर गये थे, बिना पूछताछ अपने पुराने घरों को लौटने दिया जाये। पहले विचार के लोगों के मैं यह बताना चाहता हूं कि जो लोग स्थायी रूप से लौटने या भारत में बसने का अनुज्ञा पत्र लेकर आये हैं, केवल वे ही लोग अनुच्छेद 5-कक से लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही भारत को लौटने को लौटने वाले अनुज्ञा-पत्र धारियों को ऐसे व्यक्ति समझा जायेगा, जो 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् भारत को प्रव्रजन कर आये हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल वे अनुज्ञा-पत्र-धारी जो 19 जुलाई, 1949 तक भारत को लौट आयेंगे, संविधान के आरम्भ पर भारत की नागरिकता का दावा कर सकेंगे। 19 जुलाई, 1949 के पश्चात् जो अनुज्ञा-पत्र-धारी भारत लौटेंगे वे यह सिद्ध नहीं कर सकेंगे कि वे लौटने के पश्चात् छह मास से भारत में रह रहे हैं। अब अनुज्ञा-पत्र-धारी अर्थात् वे लोग जो भारत में स्थायी रूप में पुरर्वास या निवास का अनुज्ञा-पत्र लेकर लौटे हैं, भारत के नागरिक समझे जाने के हकदार हैं। वे भारत में थे और हमारी सरकार ने सब बातों पर विचार करके, पंडित ठाकुर दास भार्गव और उनके विचारों के अन्य लोगों द्वारा अभिव्यक्त सब आशंकाओं पर विचार करके उन्हें वापस आने दिया है।

क्या हम न्याय के किसी सिद्धांत के अनुसार उन्हें भारतीय नागरिक मानने से इंकार कर सकते हैं? भारत सरकार को यह अधिकार था कि वह उन लोगों को लौटने नहीं देती और उन्हें इस देश में स्थायी रूप से बसने नहीं देती; पर हमारी सरकार ने उन्हें यहां लौटकर बस जाने की अनुमति दे दी है और अब मैं नहीं समझता कि हमारे लिये यह सम्माननीय है कि हम उस अनुमति को वापस ले लें और कह दें कि इन लोगों को अब विदेशी समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त उनकी संख्या बहुत सीमित है। अत: ऐसी कोई आंशका नहीं होनी चाहिये कि उनका लौटना हमारे हितों के विपरीत होगा। जहां तक भविष्य का संबंध है, संसद

विधि द्वारा निश्चित करेगी कि कोई मनुष्य किन शर्तों के अनुसार भारतीय नागरिकता का अर्जन या परित्याग कर सकता है। इसलिये, चाहे अनुच्छेद 5-कक के संभावित परिणामों के विषय में कितनी ही आशंका क्यों न हो, पर मैं नहीं समझता कि इसे भारत की शांति तथा सुरक्षा के लिये भयानक समझा जा सकता है। मेरे विचार में मैंने जिन शर्तों की चर्चा की है, वे ऐसी हैं कि उनमें इस देश के आवश्यक हितों का पूरा ध्यान रखा गया है।

मैंने अभी जिस विचारधारा की चर्चा की है, उससे भिन्न अभिप्राय वालों का मत है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गये हैं, उन्हें बिना शर्त के वापस आने दिया जाये, यदि वे कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के पश्चात् यह अनुभव करें कि वहां की हालत उनके लिये ठीक नहीं है। मैंने उन लोगों की वक्तृताओं को ध्यान से सुना है, पर मैं नहीं समझता कि उनका दावा उचित है। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग, या स्पष्ट कहा जाये तो कुछ मुस्लिम, किन परिस्थितियों में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये थे, और वे सब असैनिक उपद्रवों के कारण नहीं गये थे। उनमें से बहुत से पाकिस्तान में बसने के विचार से भारत छोड़कर चले गये, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनाने के विचार का समर्थन किया था और क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे एक मुस्लिम देश में अच्छा जीवन बिता सकेंगे। क्या हमें औचित्य के साथ यह बात कही जा सकती है कि उन लोगों को बिना किसी शर्त के भारत लौटने दिया जाये? जब वे भारत में थे, तब वे भारत की अखंडता बनाये रखने के विरुद्ध थे और वे मौका मिलते ही भारत छोड़कर अपने इच्छित देश में जा बसे। इन परिस्थितियों में उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वे इस देश में बिना शर्त लौटने की मांग कर सकें। किन्तु ऐसे मुस्लिम भी हैं, जो विभाजन के पश्चात् भी भारत में रहना चाहते थे, पर उन्हें बाध्य होकर यहां से जाना पड़ा। जिसे भी 1947 के सितम्बर में दिल्ली की स्थिति का स्मरण हैं, वह मुस्लिमों के मस्तिष्क की स्थिति को अच्छी तरह समझ सकता है। यदि उस समय हजारों मुस्लिम दिल्ली से पाकिस्तान चले गये, तो क्या यह उचित है कि हम उनके पूर्वेतिहास का पूरा पता लगाकर उन्हें भारत में आने देने से या नागरिकता के अधिकारों से वंचित करें? मैं नहीं समझता, श्रीमान, कि इन लोगों के मामले में, जिन्हें हमने अपने आचरण द्वारा भारत से निकाल दिया है, हम उनके नागरिकता-अधिकार के बनाये रखने पर आपत्ति कर सकते हैं, जबकि वे रक्षण-कवच साथ हों जिनकी चर्चा मैंने की है। न्याय और नैतिकता के नाते यह अपेक्षित है कि भारतीय नागरिकता के उनके अधिकार को स्वीकार किया जाये और अनुच्छेद 5-कक में इससे अधिक कुछ नहीं है। मुझे आशा है, श्रीमान, कि मैंने सिद्ध कर दिया है कि अनुच्छेद 5-क और 5-कक के विरुद्ध जो आपत्तियां हैं, वे या तो इस कारण हैं कि उनके उपबन्धों को ठीक प्रकार समझा नहीं गया है, या इस कारण हैं कि इन संशोधनों के जो परिणाम होंगे उन्हें अपूर्ण रूप से समझा गया है। यदि मेरी युक्ति ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारे समक्ष जो मस्विदा है, उसमें मध्यमार्ग अपनाया गया है; इसमें सब लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों की स्वीकार कर लिया गया है और इस आवश्यक शर्त को भूला नहीं गया है कि केवल उन्हीं लोगों को भारत का नागरिक मानना चाहिये, जो अपने अंतरतम में उसके प्रति निष्ठा रखते हों।

***अध्यक्ष:** मैं सदस्यों को सूचित कर सकता हूं कि मेरा विचार इन अनुच्छेदों पर बहस को सवा बारह बजे समाप्त कर देने का है, जबकि मैं डॉ. अम्बेडकर से उत्तर देने के लिए कहूंगा और फिर संशोधन पर मत लूंगा।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह दुर्भाग्य की सी बात है कि मैं ऐसे समय बोलने के लिए आया हूं, जब कि मेरे माननीय मित्रों श्री ब्रजेश्वर प्रसाद और पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने बहस को बहुत ऊंचे स्तर पर उठा दिया है। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता, भारत-पाकिस्तान एकता और ऐसी ही अन्य बातों पर बोले हैं। किन्तु मैं निर्भय होकर और किसी कृपा की आशंका के बिना कुछ खरी खरी बात कहने आया हूं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से कहता हूं कि वे तथ्यों को सुनकर स्वयं यह निर्णय करें कि उन्हें पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन का समर्थन करना है या नहीं। यही संशोधन मेरे माननीय मित्र श्री झुनझुनवाला ने (जो इस पर कल बोले थे) भेजा था, और मैंने भेजा था जो आसामी हिन्दुओं का प्रतिनिधि समझा जाता हूं, मेरे माननीय मित्र श्री बसु मतरी ने भेजा था जो आसाम के आदिम जातीय लोगों के प्रतिनिधि हैं और मेरे मित्र श्री लस्कर ने भेजा था, जो आसाम की बंगाल अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि हैं। ये तीन प्रकार के लोग हैं, जिन्होंने पंडित भार्गव का समर्थन किया है। अतएव मैं सदन से एक बार फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह वास्तविक तथ्यों पर ध्यान से विचार करें, केवल कल्पनाओं पर, केवल सिद्धांतों पर, या कैसी बात होनी चाहिये इस इच्छा पर ही ध्यान न दे, और स्वयं निश्चय करें कि इस संशोधन का समर्थन करना चाहिये या डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का समर्थन करना चाहिये।

इस संशोधन द्वारा मैं उन लोगों के लिये नागरिकता के अधिकार चाहता हूं—मेरा विशेषत: आसाम से मतलब है—जो पूर्वी बंगाल से आये थे, क्योंकि वहां रहना उनके लिये असम्भव था। संकुचित रूप से यह तर्क किया जा सकता है कि पूर्वी बंगाल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति डर या उपद्रवों के कारण नहीं आया है और वह वास्तव में ऐसे स्थान पर नहीं रह रहा है, जहां उपद्रव हुए थे। क्या कोई यह कल्पना कर सकता है कि पूर्वी बंगाल के ये लोग जो पश्चिमी बंगाल या आसाम में आ गये हैं, उनके मस्तिष्क में उपद्रवों का भय नहीं है? क्या उनके मस्तिष्क में सुरक्षा की कोई भावना है? क्या वह सुरक्षा की भावना दो वर्षों की कालावधि के पश्चात् इस कारण बढ़ गई है कि पाकिस्तान एक धर्माश्रित राज्य बन गया है? पंडित कुंजरू की आलोचना के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि आपको ऐसे मामलों में इस बात का जोर नहीं देना चाहिये कि वह व्यक्ति उपद्रवों से भयातुर होना चाहिये या उपद्रव हो चुके होने चाहिये। यह भय तो प्रत्येक के मस्तिष्क में है ही। ज्योंही कोई हिन्दू या अल्पसंख्यक संप्रदाय का कोई व्यक्ति वहां की गई किसी कार्यवाही के विरुद्ध आवाज उठाता है, तत्काल उपद्रव हो जायेंगे। क्या इस विषय में कोई संदेह है?

अतएव, श्रीमान, पंडित कुंजरू की आलोचना के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल या आसाम या भारत के किसी भाग में आने वाले व्यक्ति के विषय में उपद्रवों की आशंका की शर्त पर कभी हठ नहीं करना चाहिये।

दूसरी बात.....

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** आप वहां आसानी से अनुज्ञा-पत्र प्रणाली बनाकर बाहर के लोगों के आगमन को नियंत्रित कर सकते हैं।

***पं. ठाकुरदास भार्गवः** अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। *(बाधा)*

***श्री रोहिणी कुमार चौधरीः** दूसरी बात, मैं उन लोगों के लिये नागरिकता के अधिकार चाहता हूं.....

श्री राजबहादुर (मत्स्य का संयुक्त राज्य): पूर्वी बंगाल का विभाजन क्यों नहीं कर देते?

***श्री रोहिणी कुमार चौधरीः** मैं उन लोगों के लिये नागरिकता के अधिकार चाहता हूं, जो पहले आसाम प्रांत में सिलहट के निवासी थे, पर जो विभाजन से बहुत पूर्व आसाम के नागरिकों के रूप में आसाम घाटी को आ गये थे और अब आसाम के विद्यमान प्रान्त में रह रहे हैं। मैं पूछता हूं वे नागरिक हैं या नहीं? वे आसाम प्रांत, सिलहट के थे। उन्हें किसी कारोबार वश आसाम आना पड़ा; वे सरकारी नौकरों या व्यापारियों के रूप में आये थे। उन्होंने प्रव्रजन नहीं किया था; उस समय प्रव्रजन का प्रश्न ही नहीं उठा था।

वे कारोबार से आये थे; अब वे आसाम में हैं; वे आसाम में ही रहना चाहते हैं। उन्हें नागरिकता के अधिकार प्राप्त है या नहीं? मैं उनके लिये नागरिकता के अधिकार चाहता हूं।

मैं इस बात को पूर्णतः स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्वी बंगाल के उन लोगों के लिये नागरिकता के अधिकार चाहता हूं, जो भविष्य में उपद्रवों की आशंका से या असुरक्षितता की भावना से पश्चिमी बंगाल या आसाम चले गये थे और उन लोगों के लिये भी जो सिलहट से आये हैं, जिन्हें आने के समय तो उपद्रवों को भय या ऐसी कोई आशंका नहीं थी, पर अब जिन्होंने उपद्रवों के भय से यहां रहने का विनिश्चय कर लिया है।

साथ ही मैं इस सदन में यह भी कहने का साहस करता हूं कि मैं उन लोगों को अपवर्जित करना चाहता हूं, जो केवल तीन वर्ष पूर्व आये थे, जिन्होंने आज्ञा भंग आन्दोलन आरम्भ किया था, बलात भूमि पर अधिकार कर लिया था जो कि उनकी नहीं थी, और जिन्होंने कृपालु सरकार को प्रांत में शांति बनाये रखने के लिए सेना का आश्रय लेने के लिए बाध्य कर दिया था। उन लोगों को प्रांत में नागरिकता के अधिकार देने के लिये कहने वाला मैं तो अंतिम व्यक्ति हूंगा और मुझे आशा है कि सबने सच्चाई के साथ इसका समर्थन किया है। मैं यह भी सर्वथा स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों को अपवर्जित करना चाहता हूं, जो मेरे प्रांत में चोरी छिपे प्रवेश कर गये हैं और जो अब अपने भाइयों से मिल-जुलकर नागरिकता-अधिकार चाहते हैं, इसलिये नहीं कि उनके अपने प्रांत में कोई असुरक्षितता है, पर आसाम प्रांत का अधिक शोषण करने के लिये ऐसा चाहते हैं। मैं उन लोगों को अपवर्जित करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत पहिले पाकिस्तान के लिये संघर्ष आरम्भ किया था, कुछ ही समय पूर्व से भारत के राजनीतिज्ञों को विभाजन के लिये सहमत हो जाने के लिये बाध्य करने में सक्रिय भाग ले रहे थे; उनकी अपनी संपत्ति है और वे उसका शांति से उपभोग कर रहे हैं; यही नहीं उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि वे अल्पसंख्यकों की संपत्ति, जो कि आतंकित होकर भाग आये हैं, कौडियों में खरीद सके हैं।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्तप्रांत : जनरल): उनकी क्या संख्या है, कृपया बताइये?

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** मुझे पता नहीं है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी बात को सुनें। मैं स्वयं सब बातें स्पष्ट कर रहा हूं। मेरी वक्तृता में कोई संदेह या बाधा नहीं होनी चाहिये।

मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को नागरिकता के अधिकार दिये जायें, जो अपनी ही सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर रहे हैं वरन अल्पसंख्यकों की संपत्ति का भी उपभोग कर रहे हैं, जिस संपत्ति के लिये उन्होंने कुछ नहीं दिया है या नाममात्र का मूल्य दिया है। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को जरा भी नागरिकता के अधिकार दिये जायें।

मैं नहीं जानता कि आपने इस संशोधन की रचना कैसे की है; पंडित ठाकुरदास भार्गव का संशोधन कितना त्रुटिपूर्ण है और डॉ. अम्बेडकर का संशोधन कितना सुन्दर है। मैं इसके निर्वचन में सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं तो यही चाहता हूं कि मैंने लोगों की जिन श्रेणियों की चर्चा की है, उन्हें समाविष्ट करना चाहिये और नागरिकता-अधिकार मिलने चाहिये, और जिन्हें मैं अपवर्जित करना चाहता हूं उन्हें नागरिकता के अधिकार नहीं मिलने चाहियें। यदि आप अपने संशोधनों को उन तथ्यों के अनुकूल बना सकते हैं, जिनका मैंने उल्लेख किया है तो उन्हें देखकर मैं बता सकता हूं कि वे शर्तें पूरी होती हैं या नहीं। सब कुछ 'प्रव्रजन' शब्द की परिभाषा पर निर्भर है। अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता मित्र ने 'प्रव्रजन' की परिभाषा की है। उन्होंने कहा 'प्रव्रजन' का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, जो एक स्थान विशेष को छोड़ देता है, संपत्ति को बेचकर या छोड़कर जो किसी अन्य स्थान में जाकर रहने लगा है। यदि यह परिभाषा ठीक है, जैसाकि मैं समझता हूं ठीक ही है, तो आप डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को पढ़कर देख लेंगे कि मैं जो बात चाहता हूं, वह कदापि नहीं होगी और दूसरा कोई जो चाहता है वह बात होगी।

अब, यदि आप शब्द-कोष के अनुसार (Imigration) की परिभाषा करें, तो इसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना या पक्षियों के मामले में ऋतु के समय एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। किन्तु मेरे ख्याल में श्री कुंजरू ने जो परिभाषा रखी है वह सर्वाधिक उचित है। यदि आप उस पर चलें तो आप देखेंगे कि सिलहट से आने वाले लोग, जबकि वह आसाम में था, और वे लोग जो सरकारी नौकरों या व्यापारियों के रूप में आसाम आये थे, वे उस अर्थ में प्रव्रजन करके नहीं आये थे जिस रूप में यह शब्द समझा जाता है। अतएव वे डॉ. अम्बेडकर की परिभाषा के अधीन नहीं आते। वे तो स्वत: ही अपवर्जित हो जायेंगे। यही कारण है कि पंडित भार्गव ने यह संशोधन भेजा है कि वे लोग, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधीन भारत में अधिवासी थे, स्वत: ही नागरिक मान लिये जायेंगे यदि वे अब भय के कारण वापस नहीं जा सकते वे लोग, जो प्रव्रजन से बहुत पहले नौकरी या कारोबार के लिये आसाम गये थे, वे प्रव्रजन करने वाले नहीं कहला सकते। अब वे उपद्रवों के भय से अपने घरों को लौटने में असमर्थ हैं। यदि वे रहते हैं तो वे डॉ. अम्बेडकर के संशोधनों के अधीन नागरिकता के अधिकारों को प्राप्त नहीं करेंगे। इस समय भी यह स्थिति है कि उनके बच्चों का महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं हो पाता, क्योंकि वे कुछ

शर्तों को यथा प्रांत के अधिवास को पूरा नहीं कर सकते। किसी प्रांत में अधिवासी बनने के लिये यह अपेक्षित है कि उन्हें वहां 10 वर्ष रहना चाहिये और वहां उनका अपना घर या भूमि होनी चाहिये। अब उनकी स्थिति क्या होगी? यदि इस परिभाषा के अधीन भी उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी तो उनकी हालत क्या होगी?

यदि डॉ. अम्बेडकर अपने अंग्रेजी शब्दों और अंग्रेजी की विधिरूप पदावलि के ज्ञान के प्राधिकार पर हमें यह आश्वासन नहीं दे देते है कि 'प्रव्रजन' शब्द में ऐसे व्यक्ति भी समाविष्ट होंगे, तो मेरा निवेदन है कि पंडित भार्गव के इस संशोधन को स्वीकार करना होगा। पाकिस्तान से ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं जिनके लिये वहां असुरक्षितता नहीं है और जिन्हें वहां कारोबार और नौकरी मिल सकती है। मैं केवल तथ्य ही बता रहा हूं। पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है? उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अल्पसंख्यक जाति का कोई व्यक्ति वहां छोटे से पद पर भी नहीं है। आसाम जाइये और आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक वित्त सचिव, शिक्षा सचिव आदि उच्च पदों पर आसीन हैं। पूर्वी बंगाल में व्यापार संस्थाओं और बीमा समवायों का ही मामला लीजिये। कई बीमा समवाय वहां अपनी शाखायें बंद करके भारत आ गये हैं, फिर इन अल्पसंख्यकों के लिये वहां क्या कारोबार रहा? यहां तक कि चिकित्सकों को भी रहने नहीं दिया गया। पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों को वे अनुज्ञा-पत्र भी नहीं दिये जाते, जिनसे कि अधिकांश व्यापार चलता है। फिर, क्या कारण है कि पूर्वी बंगाल से बहुसंख्यक जाति के लोग, जिन्हें वहां ये सब लाभ प्राप्त हैं आसाम आते हैं? कारण यह है कि वे शोषण करना और लाभ उठाना चाहते हैं। क्या आप इसे प्रोत्साहन देंगे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आसाम सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि ऐसी प्रविष्टियों को निर्बन्धित करने के लिए अनुज्ञा-पत्र देने का प्राधिकार उन्हें दिया जाये, पर यह बात अस्वीकार कर दी गई। यदि मेरी यह सूचना गलत है, तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं। माननीय मित्र पंडित कुंजरू और इस सदन के माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि ढाका में मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन में खेद के साथ कहा गया था—मुझे आशा है वह खेद वास्तविक था—कि लगभग तीन लाख मुस्लिम पूर्वी बंगाल के आर्थिक कठिनाई के कारण प्रव्रजन कर गये हैं। अब आप कल्पना कीजिये, जब पूर्वी बंगाल की मुस्लिम लीग 3 लाख के आंकड़े दे रही है तब उन लोगों की वास्तविक संख्या क्या होगी जो इस प्रकार घुसते आ रहे हैं। प्रत्येक प्रांत समृद्ध बनना चाहता है, पर अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाकर ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि आप किसी प्रांत पर ठीक प्रकार शासन करना चाहते हें, तो आपको सदा ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जनसंख्या का संतुलन इतना न बिगड़े और आपको यह ध्यान रखना चाहिये कि आप उन लोगों को नागरिकता के अधिकार न दें जिनकी उस प्रांत में उपस्थिति अवांछनीय होगी और भारत अधिराज्य के हितों के विपरीत होगी। यही कसौटी मैं इन मामलों में लागू करना चाहता हूं। इस प्रकार के अनुच्छेद की रचना के लिये जो मुख्य शर्त स्वीकृत होनी चाहिये, वह बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है, यदि आप प्रत्येक को नागरिकता का अधिकार देने जा रहे हैं, चाहे वे अच्छे नागरिक हो सकें या न हो सके।

[श्री रोहिणी कुमार चौधरी]

श्रीमान, मैंने स्पष्ट बातें कह दी हैं, और मैं जानता हूं कि कुछ माननीय सदस्य मुझसे असंतुष्ट हो जायेंगे। किन्तु मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि मेरे प्रांत में सब जातियों के लोग जिनमें आसाम के मुसलमान भी हैं, मुझसे बिल्कुल सहमत होंगे। किन्तु मैं जानता हूं कि वे लोग मेरी बातों पर कुपित होंगे जो वहां नये आये हैं जिससे कि वे उस प्रांत उचित और ठीक ठीक प्रशासन में बाधायें डाल सकें। मैं बिल्कुल समझता हूं कि मेरे विरुद्ध बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों ने मेरे संशोधन का यह अर्थ निकाला है कि इसका उद्देश्य आसाम में बंगाली हिन्दुओं को आने से रोकना है। यह निर्वचन दुर्भाग्य से मेरे संशोधन का कुछ मित्रों ने किया है। मैं आपको यह भी स्मरण करा दूं कि मेरे अपने प्रांत में मेरे विरुद्ध बहुत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किये गये हैं, क्योंकि शरणार्थियों के परामर्शदाता के रूप में मैंने पूर्वी बंगाल के हिन्दू शरणार्थियों का समर्थन किया था। और यह रोचक बात है कि जिन व्यक्तियों को मेरे में अविश्वास है, वे अधिकतया महिला संस्थाओं के हैं। हां, मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर कहेंगे कि मुझे चिन्ता नहीं करनी चाहिये, क्योंकि महिलायें तो सदा महिलायें ही रहेंगी; और मैं भी इसी विचार से तसल्ली कर लेता हूं। इस देश की महिलाओं या किसी देश की महिलाओं ने मुझे कभी मान्यता नहीं दी; और इस आयु में तो मैं इसे सहन भी कर सकता हूं कि मैं इस देश के लोगों के महिला विभाग द्वारा मान्यता न पाऊं। पर महिला संस्थाओं को छोड़कर मैं चाहता हूं कि युक्तिपूर्ण पुरुष इस प्रश्न पर उचित प्रकार से विचार करें। मेरा यही प्रयोजन है। यदि युक्तिपूर्ण व्यक्ति मेरा समर्थन करेंगे तो मुझे संतोष हो जायेगा। यदि वे पंडित ठाकुरदास भार्गव का समर्थन करेंगे तो मेरे प्रांत का ही कल्याण नहीं होगा, केवल पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के हितों की रक्षा नहीं होगी, वरन, अन्ततः इससे भारत का व्यापक रूप से कल्याण होगा। आपको ऐसा एक प्रांत मिलेगा जो पूर्णतः निष्ठावान होगा। जो प्रांत की सरकार के प्रति सत्यनिष्ठ होगा और वे एकमत से भारत अधिराज्य के प्रति निष्ठावान होगा। यदि आप पं. ठाकुरदास भार्गव के संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे, और उसी प्रकार का दूसरा संशोधन नहीं लायेंगे, तो आपका सीमांत जोखम में पड़ जायेगा, वह प्रांत जोखम में पड़ जायेगा और आपके लिये वह महान जोखिम का कारण बन जायेगा। मैं कचार होकर आया हूं और मैंने उस जिले में देखा है जहां से बरक नदी पार करके आप भारत आते हैं, कि वहां गड़बड़ है; और यदि डॉ. अम्बेडकर का यह संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो यह कचार का जिला पूरी तरह पाकिस्तान का जिला बन जायेगा, और एक जिला पाकिस्तान को देने का कारण क्या होगा जो हमारे प्रांत में रहना चाहिये था और जिसे रखने के लिए बहुत संघर्ष हुआ था उसे पाकिस्तान में भेज दिया जायेगा। इसका कारण डॉ. अम्बेडकर का यह संशोधन होगा।

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान, मैं नहीं समझता कि मैं इस नागरिकता के प्रश्न पर सारे अनुच्छेदों के विषय में वक्तृता दूंगा। उन पर विभिन्न वक्ता पहले ही पूरी तरह बोल चुके हैं। मैं केवल दो प्रश्नों पर बोलूंगा जिन पर इस बहस में काफी वाद-विवाद हुआ है।

पहली बात जो मैं लूंगा, वह उन लोगों का प्रश्न है जो भारत से पाकिस्तान गये थे और बाद में उन्होंने अपना विचार बदल लिया है और भारत को अपने पुराने घरों और भूमि को लौटने के लिए आवेदन-पत्र दिया—क्या उन लोगों के

साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा उन लोगों के साथ हो जो पाकिस्तान से भारत को केवल प्रव्रजन कर आये हैं। विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों में सामान्यत: वे लोग हैं, जिनके स्थायी घर पाकिस्तान में थे और जिन्हें पाकिस्तान से भगा दिया गया था, तब उन्हें भारत में अपने स्थायी घर बनाने पड़े। उन लोगों के निर्देश से अनुच्छेद 5-क के मस्विदे में लिखा है कि यदि उनका प्रव्रजन 19 जुलाई, 1948 से पूर्व हुआ है तथा वे प्रव्रजन के समय से लगातार भारत में रह रहे हैं, तो वे भारत के नागरिक समझे जायेंगे। पाकिस्तान से भारत को आने के लिए अनुज्ञा-पत्र देने का अध्यादेश जारी होने के पश्चात् जो लोग पाकिस्तान से भारत आये हैं, उन लोगों के विषय में हमने नागरिकता की प्राप्ति उन थोड़े से लोगों तक ही सीमित कर दी है जिन्होंने भारत सरकार के प्राधिकारियों को आवेदन-पत्र देकर अनुज्ञा-पत्र ले लिये हैं, जिससे वे भारत में स्थायी रूप से लौटकर यहां बस सकें। ऐसे लोगों को स्वत: नागरिक नहीं माना जायेगा। इन लोगों को प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन-पत्र देने होंगे, और वे प्राधिकारी नागरिकता की मान्यता देने से पूर्व इन व्यक्तियों में प्रत्येक के पूरे इतिहास पर विचार करेंगे।

***श्री महावीर त्यागी:** क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग कितनी होगी?

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर:** कुछ समय पूर्व, लगभग दो मास पूर्व, मुझे जो संख्या बताई गई थी वह 2,000 थी। अब वह संख्या 3,000 से अधिक नहीं हो सकती, यह मेरा इस समय का अनुमान है—हो सकता है, इस सीमा से कुछ व्यक्ति कम हों या उस सीमा से अधिक हों।

***सरदार हुकम सिंह** (पूर्वी पंजाब : सिक्ख): उनकी संपत्ति का क्या मूल्य होगा?

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर:** मुझे भय है, मैं इन व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य तो नहीं आंक सकता। इस संपत्ति के प्रश्न पर मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गये हैं, चाहे वे स्थायी रूप से पाकिस्तान में रहें, फिर वे उन संपत्तियों के हकदार हैं जो वे पीछे छोड़ गये हैं। जब बाद में उन्हें भारत में स्थायी रूप से लौटकर बस जाने का अनुज्ञा-पत्र मिल जाता है तब वे वापस आ जाते हैं; और अधिकांश मामलों में स्वामित्व के हक के अतिरिक्त, यदि उन्हें पुनर्वास की अनुमति मिल गई है, तो उन संपत्तियों पर पुन: कब्जा भी कर लेते हैं। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि नागरिकता के लिये आवेदन-पत्र देने और उसे प्राप्त करने के उनके अधिकारों को मान्यता देने से हम कैसे इंकार कर सकते हैं। नागरिकता को वह अधिकारी, जिसे वह आवेदन-पत्र स्वीकार करने का अधिकार है, अन्य कारणों से अस्वीकार कर सकता है; पर जहां तक संपत्ति का संबंध है, मेरी समझ में नहीं आता कि हम उससे कैसे मुकर सकते हैं। पर हां, एक वैधानिक प्रश्न भी है जो मेरे माननीय मित्र श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने उठाया है कि नागरिकता और संपत्ति में कोई आवश्यक संबंध नहीं है। यह तो हमें निश्चित करना है कि हम उस संपत्ति का क्या करेंगे—क्या उस संपत्ति का कब्जा खो देने के पश्चात् हम उन्हें उस संपत्ति पर पुन: अधिकार करने देंगे। वास्तव में स्थायी रूप से लौट जाने तथा पुनर्वास के इन अनुज्ञा-पत्रों को देने का यह आशय है कि वे अपनी

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

संपत्ति पर ही पुन: बस सकते हैं। किन्तु ऐसे मामले भी हुए हैं जहां यह संभव नहीं हो सका है और कुछ लोगों को जो इन अनुज्ञा-पत्र से लौटे थे, अन्य संपत्ति पर बसाया गया है। ये तो विस्तार की बातें हैं, जिनका निबटारा हम नागरिकता के प्रश्न से अलग ही कर सकते हैं। अब जहां तक इस मामले का संबंध है, यह भारत सरकार द्वारा दिये गये वचन का प्रश्न है, जैसा कि अनेक वक्ताओं ने कहा है। जब हमने इन लोगों को अपने ही अधिकारियों द्वारा पड़ताल के पश्चात् तथा इस प्रयोजन के लिये विशेषत: नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा दिये गये लेख्यों के बल पर लौटने दिया है, तो हमारी सरकार के लिए ऐसी बात कह देना ईमानदारी नहीं होगी कि "हम इन लेख्यों वाले व्यक्तियों को यथेष्ट मान्यता नहीं देंगे।"

मैं इस विषय पर अधिक नहीं बोलना चाहता, पर एक दो बातें हैं जो एक वक्ता ने उठाई हैं। पहली बात यह थी कि जो लोग इस प्रकार के अनुज्ञा-पत्र लेकर वापस आये हैं, उन्हें स्वत: ही नागरिकता मिल जानी चाहिये और यह अपेक्षित नहीं होना चाहिये कि वे किसी अधिकारी को आवेदन-पत्र दें और उसके द्वारा नागरिकता अधिकारी की मंजूरी की प्रतीक्षा करे। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इन लोगों के मामले में हमारे लिये यह अधिक बुद्धिमानी की बात या आवश्यक बात है कि हम उन्हें उन लोगों से अधिक ऊंचे स्तर पर रखे जिनके पास पाकिस्तान में संपत्ति थी और जो उस संपत्ति को वहां छोड़कर 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् यहां आ गये हैं। यद्यपि भारत में स्थायी रूप से बसने की उनकी इच्छा सुस्पष्ट है, पर फिर भी उन्हें नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने के लिये अधिकारी को आवेदन-पत्र देना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि भारत से जानबूझ कर पाकिस्तान जाने वालों को उन लोगों से ऊंचे स्तर पर रखा जा सकता है जो पाकिस्तान में अपनी संपत्तियों से निकाल दिये गये और उन्हें यहां 19 जुलाई के पश्चात् आना पड़ा। यह एक बात है, जिस पर मैं चाहता हूं कि सदन विचार करे। वे कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जो कुछ व्यक्तियों के वक्तव्यों के कारण या किसी न किसी प्राधिकारी के अधीन निकाली गई कल्पित अधिसूचनाओं के कारण इस देश को अनुज्ञा-पत्र लिये बिना ही लौट आये हैं और उन पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये कि उन्होंने अनुज्ञा-पत्र नहीं लिये थे। मेरे विचार में, श्रीमान, जहां तक भारत से पाकिस्तान जाने वालों का संबंध है, यह तो सुनिश्चित तथ्य है कि उनका पहला कार्य भारत के प्रति निष्ठा का परित्याग करना तथा एक दूसरे राज्य के प्रति निष्ठा ग्रहण करना था। उन्हें भारत में वापस लेने और उन्हें नागरिकता के अधिकार देने से पूर्व हमारे पास कोई सुनिश्चित उपाय होना चाहिये, जिससे कि उनकी भारत लौटने की इच्छा स्पष्टतया अभिव्यक्त हो। इसके अतिरिक्त हमारे पास इस बात का भी सुनिश्चित साक्ष्य होना चाहिये कि वे इस देश में इस देश की सरकार की अनुमति से ही लौटे हैं। इसी कारण इस अनुच्छेद 5-कक में हमने नागरिकता प्राप्ति की अर्हता को उन्हीं लोगों तक निर्बन्धित कर दिया है, जो उन अनुज्ञा-पत्रों के प्राधिकार से भारत आये हैं, जो हमारी बनाई गई विधि प्राधिकार से हमारे अधिकारियों ने उन्हें दिये हैं।

यदि हम इस श्रेणी के लोगों को छोड़ दें, तो हमें बहुत से ऐसे लोगों के मामलों पर विचार करना होगा, जिनका इस देश में नागरिकता का दावा बिल्कुल कच्चा है। संभव है कि कुछ लोगों ने जो भारत को लौट आये हैं, भारत को

फिर अपना स्थायी निवास बना लिया है और वे भारत के नागरिक बनना चाहते हैं और पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। उनके मामलों का निश्चय विधि पर छोड़ देना चाहिये, जो भविष्य में संसद बनायेगी। उनके मामले इतने स्पष्ट नहीं हैं कि हम उन्हें संविधान में ही समाविष्ट करें। अतः मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह उस स्थिति को स्वीकार कर ले जो हमने अनुच्छेद 5-कक में रखी है। इसमें सामान्य सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा। इसमें एक परन्तुक है, जिससे ऐसा व्यक्ति पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यदि वह आवेदन पत्र देकर हमारे प्राधिकारियों से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर ले कि वह भारत में वापस आकर अपने घर में और अपने भूमि पर पुनः स्थायी रूप से बस सकता है।

दूसरी बात जिसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं, वह मेरे आसाम वाले माननीय मित्र ने उठाई है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं स्पष्टतः नहीं समझ सका हूं कि उन्होंने इस विषय में, जिस पर वे चिन्तित हैं, क्या कहा है। यह तो निस्संदेह सत्य है कि बहुत बड़ी मात्रा में मुसलमान पूर्वी बंगाल से आसाम को जाते हैं। पर विगत में पूर्वी बंगाल तथा आसाम के विषय में मैंने कुछ थोड़ा अध्ययन किया था, उससे प्रकट है कि इस प्रकार का प्रव्रजन कोई नई वस्तु नहीं है। शायद संख्या में थोड़ा सा अन्तर है; पर हमारे समक्ष तो यह प्रश्न रखा गया है कि मस्विदे के इस उपबन्ध के अधीन बहुत से मुसलमानों के लिये रास्ता खुल जायेगा, जो कि पाकिस्तान से भारत आ जायेंगे और पंजीबद्ध होने के लिये आवेदन पत्र देंगे तथा पंजीबद्ध हो जायेंगे, जिससे कि आसाम की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब हमें स्थिति का विशेषण करना चाहिये। उदाहरण के लिये ऐसा कहा जाता है कि आसाम चाहता था कि पूर्वी बंगाल और आसाम के बीच एक अनुज्ञा-पत्र प्रणाली लागू की जाये। आसाम सरकार और भारत सरकार ने आपस में इस विषय पर बातचीत की है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक सम्मेलन किये और मैं यह कहकर कोई गुप्त बात को नहीं खोल रहा हूं कि इस विषय पर हमारा जो अन्तिम सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत सरकार तथा आसाम सरकार के प्रतिनिधियों इन दोनों का यही मत था कि पूर्वी बंगाल और आसाम के बीच ऐसी अनुज्ञा-पत्र-पद्धति आरम्भ करना बुद्धिमानी नहीं होगी, जैसी कि पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच है। अब, यदि हम पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच की अनुज्ञा-पत्र-पद्धति को पूर्वी बंगाल और आसाम के बीच भी जारी कर दें, तो यह पाकिस्तान को नियंत्रण देना होगा कि वह भी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच ऐसी ही पद्धति जारी कर दे, और मैं यह बात उन लोगों के लिये कह रहा हूं, जो पश्चिमी बंगाल और आसाम दोनों से परिचित हैं वे यह समझ जायेंगे कि पश्चिमी बंगाल की आर्थिक स्थिति पर इसका कितना महान प्रभाव पड़ेगा। अंतिम सम्मेलन में केवल यही निर्णय हुआ कि हमें पूर्वी बंगाल के आसाम को आने वाले मुस्लिमों के प्रव्रजन को कम करने या रोकने के लिये कोई अन्य उपाय ढूंढने चाहिये या प्रयोग करने चाहिये, और इस मामले की छानबीन हो रही है, और मैं तो यह समझता हूं कि ऐसे प्रकार का कोई विधान बनाना संभव हो सकेगा, जिससे कि आसाम प्रव्रजन को काफी रोक सकेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हमें ऐसे उपाय काम में लेने पड़ें जो देश के पूर्वी सीमान्तों की स्थिति को और उलझा दें। मैं समझ सकता हूं कि इस समय उनका आसाम के लिये क्या अर्थ है, किन्तु हमें इस संभावना की पूर्णतः अवहेलना

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

नहीं कर देनी चाहिये कि आसाम में जैसी स्थिति है, उसमें आसाम सरकार के अत्यधिक जोशीले अधिकारी इस चीज की ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि वह उन बंगालियों पर विपरीत प्रभाव डाले, जो पूर्वी बंगाल से आसाम को प्रव्रजन कर गये हैं या शायद पश्चिमी बंगाल से आसाम को गये हैं। हमें इन सब बातों पर विचार करना है। अब मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि हमें आसाम और पूर्वी बंगाल के बीच की इस कठिनाई को बीच में लाकर, जिसके हल के लिए हम अन्य उपाय ढूंढ रहे हैं, इस नागरिकता की समस्या को और भी उलझन में नहीं डालना चाहिये।

***सरदार हुकम सिंह:** श्रीमान, हमें यह बताया गया है कि जो मुस्लिम यहां अपनी संपत्ति छोड़ गये थे और अब वापस आ गये हैं, वे उस संपत्ति के हकदार रहते हैं और जब वे लौट जाते हैं तब उन्हें उनकी संमत्ति लौटा देना साधारण न्याय है। सरकार और कुछ कर ही नहीं सकती। यह बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय प्रस्तावक से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके तर्क के अनुसार हम भी जो कि पाकिस्तान से आये हैं और अपनी संपत्ति वहां छोड़ आये हैं, उन संपत्तियों के हकदार हैं। क्या वे हमें कोई ऐसा न्यायालय या न्यायाधिकरण बता सकते हैं, जिसके समक्ष हम जा सकते हैं, और अपने हक-पत्रों को पेश करके वैसा ही न्याय मांग सकते हैं जैसा कि इस परन्तुक के अनुसार उन लोगों को यहां दिया जा रहा है?

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान, मैंने भारत में मुस्लिमों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के विषय में जो बात कही थी, उस पर माननीय सदस्य के कथन में कुछ त्रुटि है। मैंने यह कहा था कि प्रव्रजन मात्र से भारत में उनकी संपत्तियों पर उनका हक समाप्त नहीं हो गया। वह हक तब तक रहेगा जब तक कि दोनों सरकारों में कोई ऐसा निबटारा न हो जाये कि दोनों देशों में उनके हक समाप्त हो जायेंगे। तब तक प्रत्येक व्यक्ति का हक बना रहेगा। चाहे संपत्ति संरक्षक को मिल गई हो, वह उसका प्रबन्ध कर रहा हो, वह उससे किराया वसूल कर रहा हो, किन्तु जब कोई व्यक्ति विशेष वापस आ जाये और उसे अपनी भूमि पर पुनर्वास करने की अनुमति मिल जाये, तब ऐसा होना चाहिये, और मुझे विश्वास है कि उसके लिये हमारी निष्क्रांत संपत्ति विधि में उपबन्ध भी है, कि जब उसे अपनी भूमि पर पुन: अधिकार करने का हक मिल जाये और वह यहां के सब सम्बद्ध प्राधिकारियों को संतुष्ट कर दे कि वह इस देश में स्थायी रूप से बसने के लिए आया है, तब निष्क्रांत समझी जाने वाली संमत्ति उसे लौटा दी जायेगी। दूसरी ओर भी ऐसी ही विधि है। जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गये हैं, उनके हक वैसे ही बने हुए हैं, किन्तु यदि वे पाकिस्तान सरकार द्वारा दिये गये अनुज्ञा-पत्र से वापस जायें, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा कि हम भारत लौटने वाले मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं।

अब, मैं यह नहीं चाहता कि सदन मुझसे यह भी पूछे कि क्या ऐसा सचमुच में होता है। मैं इस विषय की विधि की बात कर रहा हूं। यदि हम भी वापस जाकर यथास्थिति अपनी भूमि या संपत्ति को मांगें, तो हमें कोई नहीं रोकता। वास्तव में, लगभग तीन सहस्त्र लोगों को हमने अनुज्ञा-पत्र दिये हैं और शायद बहुत अधिक

संख्या ने उनके लिये आवेदन-पत्र दिये हैं और उन्हें वे अभी तक नहीं मिले हैं, मुझे भय है कि जो अमुस्लिम पाकिस्तान से भारत आये हों और पाकिस्तान लौटना चाहते हों, उन्हें हम अंगुलियों पर गिन सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे लोगों में, जो शरणार्थी बन कर आये हैं, वापस जाकर अपनी भूमियों पर पुनः अधिकार करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई विशेष इच्छा नहीं है, जबकि यह सत्य है कि जो मुस्लिम दूसरी ओर चले गये हैं, उनमें से बहुत ज्यादा लोग वापस आना चाहते हैं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** इसका क्या कारण है?

***श्री महाबीर त्यागीः** हम जाने के लिए तैयार हैं, यदि हमारे साथ सेना भी हो।

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः** हां, यह ठीक है, पर आपको यह मानना होगा कि मुसलमान बिना सेना के ही यहां वापस आ रहे हैं।

***श्री बिक्रम लाल सौंधी** (पूर्वी पंजाब : जनरल): क्योंकि यह एक तरफ प्रवाह है।

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः** खैर, मैं नहीं समझता कि दोनों देशों में कानूनी स्थिति भिन्न हो।

माननीय सदस्य ने मुझसे जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि हम दूसरी ओर अपनी संपतियों पर कब्जा करने का अधिकार वापस पाने के लिये किस न्यायाधिकरण में जा सकते हैं, उनके विषय में मेरा यही उत्तर है कि विधि संबंधी क्षेत्राधिकार भिन्न है। ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं है, जहां आप इस प्रश्न को ले जा सकें। आप केवल यही कर सकते हैं कि हमारी सरकार को ही परेशान करें कि वह देखे कि दूसरी ओर हमारे लोगों को वैसे ही अधिकार दिये जायें, और आप जानते ही हैं कि हमारी सरकार इस बात के लिये सदा प्रयत्नशील रहती ही है।

श्री अलगू राय शास्त्रीः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागरिकता के संबंध में जो यह क्लाज हैं इनका बहुत महत्व है और जिस तरह की बहस अभी तक सुनने में आई है उससे मालूम होता है कि इसके ऊपर कुछ और भी वाद विवाद करने की आवश्यकता है। यदि हम इनको जल्दी में पास कर देंगे तो हमको पछताना पड़ेगा। हमको इनके बारे में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को तय करना है। मैं अर्ज करूंगा कि यदि इस मामले पर हम दोबारा बैठकर विचार करें तो बहुत अच्छा होगा। मेरा यह नम्र निवेदन है कि अगर इनको जल्दी में पास कर दिया गया तो उन लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा जो कि इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। इस प्रश्न से बहुत सी और बातों का संबंध है जिनका कहा जाना आवश्यक है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस नागरिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न को जल्दी में न पास कर दिया जाये।

अध्यक्षः 9 घंटे से ज्यादा इस पर बहस हो चुकी है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मेरे मित्र जो प्रश्न पूछना चाहते थे वह वास्तव में यह था कि पाकिस्तान में अमुस्लिमों के प्रवेश के संबंध में क्या स्थिति है, और मैं नहीं समझता कि उस प्रश्न का कोई संतोषप्रद

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

उत्तर दिया गया है। हम तो यह जानना चाहते हैं कि हम जिन विचारों तथा आदर्शों को मानते हैं और जिन पर हम दृढ़ हैं, और जिनका हम प्रचार करते हैं और जिन नीतियों को हम स्वीकार करते हैं उन पर किस हद तक माननीय मंत्री ने पाकिस्तान को आचरण करते पाया है?

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर:** मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में उनकी ओर से वैसा संतोषजनक आचरण नहीं हो रहा जैसा कि मैं चाहता हूं

***श्री महावीर त्यागी:** हमें अपनी सरकार की असफलताओं पर बहस नहीं करनी चाहिये। हमें संविधान पर विचार करना चाहिये।

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर:** यह ठीक है। प्रश्न यह है कि दो सरकारें एक बात को निबटाने के लिये मिलती हैं। यदि कोई समझौता नहीं होता है तो असफलता हो जाती पर असफलता एक ओर हुई है या दूसरी ओर है, यह तो एक प्रश्न ही है।

श्री फूल सिंह (संयुक्त प्रांत: जनरल): सभापति जी, इसको आज खत्म न करने के संबंध में क्या फैसला हुआ है?

अध्यक्ष: मैं इसी को अभी पूछ रहा हूं। *[मैं समझा था कि हमने इन अनुच्छेदों पर जो 9 घंटे व्यय किये हैं उनमें हम इन पर काफी बहस कर चुके हैं, और मैं तो व्यक्तिगत रूप में अब इस पर मत लेना चाहूंगा। क्योंकि कुछ सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की है कि वे इस पर आगे बोलना चाहते हैं और बहस करना चाहते हैं, अत: मैं इस पर सदन का मत ले लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अब प्रश्न पर मत लिये जाये।"]

सभा में हाथ उठवाकर मत लिये गये।

हां–59 ना–35

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

***श्री अलगू राय शास्त्री:** श्रीमान्, यद्यपि समाप्ति के लिये अधिक मत आये हैं, पर यह देखते हुए कि उन लोगों की भी संख्या बहुत है जो बहस जारी रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप कृपया इस विषय पर और बहस होने दें।

***अध्यक्ष:** मैं नहीं समझता कि अधिक वक्तृताओं से कोई लाभप्रद प्रयोजन सिद्ध होगा। सब संशोधन सदस्यों के सामने हैं, उन्हें स्वतंत्रता है कि वे जिस संशोधन के पक्ष में मत देना चाहें, दें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद के मस्विदे पर आलोचना करने वालों की प्रत्येक बात को

लिख लेना मेरे लिये संभव नहीं हो सका है। मैं नहीं समझता कि प्रत्येक प्रकार की आलोचना का उत्तर देना आवश्यक है। यह काफी है यदि मैं सारवान प्रश्नों को लेकर उनका उत्तर दे दूं।

मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने कहा है कि प्रारूपित अनुच्छेदों द्वारा हमने अपनी नागरिकता को बहुत सस्ता बना दिया है। मैं समझता हूं कि यदि उन्हें नागरिकता विधि संबंधी नियमों का ज्ञान होता, तो वे समझ जाते कि कि दूसरे देशों की विधि द्वारा नागरिकता जितनी सस्ती बन जाती उतनी हमारी नागरिकता नहीं है।

मेरे मित्र प्रोफेसर के.टी. शाह ने जो बात कही है कि इन अनुच्छेदों में निश्चित वजन होना चाहिये जिससे कि संसद का अनुच्छेद 6 के अधीन विधि बनाने का प्राधिकार सीमित होना चाहिये जिससे कि संसद उन देशों के निवासियों को नागरिकता न दे सके जो वहां भारतीय निवासियों को नागरिकता नहीं देते, मेरे विचार में यह ऐसी बात है जो संसद पर छोड़ देनी चाहिये कि वह जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार निश्चित करे।

मैं सबसे अधिक उन आलोचनाओं का उत्तर देना चाहता हूं जो अनुच्छेदों के उन भागों पर की गई हैं जिनका संबंध पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रव्रजकों से तथा भारत से पाकिस्तान जाने वाले प्रव्रजकों से है। उपबन्धों के प्रथम भाग की, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रव्रजकों के विषय में है, आसाम के प्रतिनिधियों ने विशेषत: आलोचना की है, जिनकी ओर से मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी बोले हैं। यदि मैं ठीक समझा हूं तो उनका कहना यह है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रव्रजकों से सम्बद्ध इन अनुच्छेदों के कारण पूर्वी बंगाल से आसाम आने वाले बंगालियों और मुस्लिमों के लिए द्वार खुल जाता है जिससे या तो प्रांत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी या इसके सांप्रदायिक संतुलन में गड़बड़ हो जायेगी। मेरे विचार में, श्रीमान, वे इन अनुच्छेदों के उद्देश्य को बिल्कुल गलत समझ गये हैं जो कि पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रव्रजकों के विषय में हैं।

यदि वे उपबन्धों को फिर पढ़ेंगे तो वे देखेंगे कि केवल उन लोगों के विषय में जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व आसाम आये थे, यह उपबन्ध है कि वे आसाम के नागरिक घोषित कर दिये गये हैं यदि वे भारत के राज्य-क्षेत्र में रह चुके हैं। किन्तु जो लोग 19 जुलाई 1948 के पश्चात् आसाम आये हैं, चाहे वे हिन्दू बंगाली हों चाहे मुस्लिम, उनके विषय में नागरिकता स्वयंमेव मिल जाने वाली वस्तु नहीं है। जो लोग 19 जुलाई 1948 के पश्चात् आसाम में प्रविष्ट हुए हैं उनके लिये तीन शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि उसे नागरिकता के लिए आवेदन-पत्र देना होगा। उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह लगभग 6 मास आसाम में रह चुका है, तीसरी बात एक बहुत कठोर शर्त है कि उसे भारत अधिराज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से पंजीबद्ध होना होगा। मैं स्पष्टत: कहना चाहता हूं कि यह पंजीबद्ध करने की शक्ति पूर्ण शक्ति है। केवल इसलिये कि किसी व्यक्ति ने आवेदन-पत्र दिया है, केवल इसलिये कि वह छह मास आसाम में रह चुका है, इन्हीं बातों के कारण पंजीयन अधिकारी पर कोई उत्तरदायित्व या कर्तव्य या बाध्यता नहीं आ पड़ेगी कि वह उसे पंजीबद्ध कर ले। चाहे उसने आवेदन-पत्र दिया हो, चाहे वह छह मास रह चुका हो, पर अधिकारी को फिर भी काफी स्वविवेक की शक्ति होगी कि वह उसे पंजीबद्ध करे या न करे।

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

दूसरे शब्दों में, अधिकारी को यह जानने का हक होगा, कि उसके समक्ष उपस्थित साक्ष्य के अनुसार, वह व्यक्ति किस उद्देश्य से आया था, क्या वह भारत का स्थायी नागरिक बनने के सच्चे उद्देश्य से आया था या किसी अन्य उद्देश्य से आया था। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीन शर्तों के रहते हुए जो कि 19 जुलाई 1958 के पश्चात् आसाम आने वाले लोगों पर लागू की गई हैं, मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी द्वारा अभिव्यक्त यह आशंका नितांत निराधार है कि आसामी लोगों पर बंगालियों या मुस्लिमों के छा जाने के लिए द्वार खुल जायेगा। यदि उन्हें उन लोगों पर आपत्ति है जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व बंगाल में प्रविष्ट हुए हैं–इस मामले में ऐसा सिद्ध करने पर कि वह भारत में निवास कर चुका है, नागरिकता स्वत: मिल जाती है—निस्संदेह इस विषय पर संसद अनुच्छेद 6 के अधीन विधि बना सकेगी। यदि मेरे आसामी मित्र संसद को विश्वास दिला सकेंगे कि जो लोग 19 जुलाई, 1948 से पूर्व आसाम आये हैं उन्हें, किसी कारण से जो वे संसद के समक्ष रख सकें, अनर्ह बना देना चाहिये, तो मुझे संदेह नहीं है कि संसद उस मामले पर विचार करेगी। अत: पाकिस्तान से आसाम को प्रव्रजन करने वाले लोगों के विषय में जो अनुच्छेद हैं उनकी आलोचना पूर्णत: निराधार है।

अब मैं उस आलोचना पर आता हूं जो भारत से पाकिस्तान चले जाने वाले प्रव्रजकों संबंधी उपबन्धों पर की गई है। मेरे विचार में इन अनुच्छेदों की आलोचना करने वालों ने भी ठीक प्रकार इनके उद्देश्य को नहीं समझा है। अत: मैं पुन: बताना चाहता हूं कि इन अनुच्छेदों में क्या है। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों के संबंध में उपबन्ध हैं उनके अनुसार, एक छोटे से अपवाद के अतिरिक्त उन सब लोगों को, जो मार्च 1947 के पश्चात् भारत से चले गये हैं, नागरिक नहीं माना गया है। मेरे विचार में इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। यह एक व्यापक और सामान्य सिद्धांत है जो हमने रख दिया है। इस बात को रखना अपेक्षित था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जन्म से अधिवास-अधिकार मिल जाता है, अत: किसी व्यक्ति को जन्म का अधिवास प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, न उसके लिए आवेदन-पत्र देना होता है और न कुछ और करना होता है। अधिवास का आरम्भ जन्म से होता है। यह विचार किया गया कि जो लोग पाकिस्तान चले गये हैं, पर भारत में उत्पन्न हुए थे, हो सकता है, वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर अब भी यह दावा करें कि उनका जन्मना अधिवास तो अभी पूर्णवत ही है। इसलिये, उनके पास ऐसी सफाई देने को न रहे, यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना ही ठीक समझा गया कि जो व्यक्ति प्रथम मार्च के पश्चात् पाकिस्तान चला गया है, उसका भारत में नागरिकता-अधिकार समाप्त हो जायेगा—आप सब जानते हैं कि हमने 1 मार्च बहुत सोच समझकर रखा है, क्योंकि उसी तारीख से उपद्रव आरम्भ हुए थे और प्रव्रजन आरम्भ हो गया था और हमने सोचा कि ऐसे व्यक्ति का नागरिकता-अधिकार समाप्त कर देने में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के किसी सिद्धांत का हनन नहीं होगा जो उपद्रवों के फलस्वरूप स्थायीरूपेण पाकिस्तान में बसने के लिये चला गया है। उन दो बातों की व्यवस्था करने के लिए हमने स्वाभाविक धारणा को विधि नियम में परिणत कर दिया है और यह बात रख दी है कि जो 1 मार्च के पश्चात् पाकिस्तान गया है उसे यह कहने का हक नहीं होगा कि भारत में उसका अब भी अधिवास है।

अनुच्छेद 5 के अनुसार जिसमें नागरिकता के लिये अधिवास अपेक्षित है, पाकिस्तान जाने वालों का अधिवास और नागरिकता समाप्त हो गई है।

अब, मैं एक अपवाद को लेता हूं। ऐसे लोग हैं जो भारत से पाकिस्तान चले जाने के पश्चात् फिर वापस भारत लौट आये हैं। वहा भी, हमारा नियम यह है कि जो भारत को लौट आयेगा उसे तब तक नागरिक नहीं माना जायेगा जब तक कि वह कुछ शर्तों को पूरा न करें। पाकिस्तान जाने और भारत लौट आने से हमारे बनाये हुए सामान्य नियम में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति नागरिक नहीं समझा जायेगा। अपवाद यह है: जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर ने कहा है, दोनों सरकारों के मध्य बातचीत के समय, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार, दोनों सरकारों ने कुछ समझौता कर लिया जिससे कि भारत सरकार सहमत हो गई कि कुछ व्यक्तियों को, जो भारत से पाकिस्तान गये थे, लौटने दिया जायेगा, और उन्हें केवल अस्थायी यात्रा के लिये, या व्यापार के लिये या किसी अन्य अस्थायी कारण के लिये, रोगी संबंधी से मिलने के लिये, नहीं लौटने दिया गया है वरन् उसे स्पष्टत: भारत लौटकर यहां बस जाने तथा स्थायी रूप से रहने की अनुमति दी है। अब ऐसे व्यक्ति हमारे यहां हैं। अत: प्रश्न यह है कि हमने इस अनुच्छेद में जो नियम रखा है कि जो लोग पहली मार्च 1947 के पश्चात् भारत से पाकिस्तान गये हैं, क्या उनके विषय में कोई अपवाद रखा जाये या नहीं? यह अनुभव किया गया और अपनी ओर से मैं निवेदन करता हूं कि ठीक ही अनुभव किया गया कि जब सरकार ने किसी व्यक्ति को पुराने अधिवास में लौटने और वहां स्थायी रूप से बस जाने की अनुमति दे दी है, तब उस व्यक्ति को नागरिक बनने की अर्हता से वंचित करना ठीक नहीं होगा। जैसाकि मेरे मित्र, श्री गोपालस्वामी आयंगर ने कहा है, इस श्रेणी के लोगों की संख्या, हमारे यहां हिन्दुओं और मुस्लिमों की बड़ी संख्या देखते हुए, बहुत कम है, लगभग दो तीन हजार है। मेरे ख्याल में, बहुत बुरा लगेगा, विश्वास का उल्लंघन दिखेगा, यदि हम यह कह दें कि हम उन्हें इस विशेषाधिकार से वंचित कर दें जिन्हें, हमारी सरकार ने, चाहे ठीक है या गलत, यहां स्थायी रूप से बसने के लिए पाकिस्तान से आने दिया है। इस सदन को यह अधिकार है कि वह एक विधेयक पारित करके भारत सरकार को रोक सकते हैं कि वह अनुज्ञा-पत्र प्रणाली को आगे जारी न रखे। यह इस सदन के अधिकार और शक्ति में है, पर मैं नहीं समझता कि सदन जनता की इच्छानुसार कार्य कर रहा होगा यदि वह कह दे इन लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर देना चाहिये, जो कि बहुत थोड़े से हैं और हमारी सरकार के ही आश्वासन पर यहां बसने के लिये आये हैं। श्रीमान, मैं नहीं समझता कि इन अनुच्छेदों पर जो आलोचना की गई है उसमें कोई सार है और मैं आशा करता हूं कि वे जैसे हैं उसी रूप में सदन उन्हें स्वीकार कर लेगा।

***अध्यक्ष:** अब, मैं विभिन्न संशोधनों पर मत लूंगा। यह निश्चय करना कुछ कठिन है कि इन संशोधनों को किस क्रम से लिया जाये।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** उन सबको वापस ले लिया जाये।

***अध्यक्ष:** जिस क्रम से वे संशोधन विविध वक्ताओं द्वारा पेश किये गये थे, उसी क्रम से मैं उन पर मत लूंगा और यदि कोई माननीय मित्र अपने संशोधन

[अध्यक्ष]

को वापस लेना चाहते हों तो उस आशय की अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं डॉ. देशमुख द्वारा पेश किये गये संशोधन को लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि संशोधन पर संशोधनों की सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्तावित अनुच्छेद 5 के स्थान में निम्न अनुच्छेद रखा जाये:

'5(1) भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को–

(क) जिसका जन्म भारतीय जनकों से हुआ है; अथवा

(ख) जिसको देशीयकरण विधि के अधीन देशी बना लिया गया है; और

(2) प्रत्येक व्यक्ति को जो हिन्दू या सिक्ख धर्म का अनुयायी है और जो किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, चाहे वह कहीं निवास करे भारत का नागरिक होने का हक होगा।'"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मैं संशोधन संख्या 29, 116, 118 तथा 119 को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 29, 116, 118 तथा 119 सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधन संख्या 120 को लूंगा।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): यदि संशोधन संख्या 130 स्वीकृत हो जाये तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

***अध्यक्ष:** संख्या 120 निकल गया। फिर श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन हैं। वे सब मौखिक हैं। संख्या 4।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है, पर मैं इस पर जोर नहीं देता।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** फिर संशोधन संख्या 18 है। वे सब रचना संबंधी हैं और मस्विदा समिति के विचारार्थ छोड़े जा सकते हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मेरे सब संशोधनों पर मस्विदा समिति विचार कर ले।

***अध्यक्ष:** श्री नज़ीरुद्दीन अहमद अपने सब संशोधनों को मस्विदा समिति के विचारार्थ छोड़ना चाहते हैं। अत: उन पर मत नहीं लेने हैं। क्या सदन उनको उस अर्थ में अपने संशोधनों को वापस लेने की अनुज्ञा देता है?

मि. नज़ीरुद्दीन अहमद के सारे संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

***अध्यक्ष:** फिर हम श्री जसपतराय कपूर के संशोधनों को लेते हैं। संशोधन संख्या 5।

***श्री जसपतराय कपूर:** (संयुक्त प्रांत : जनरल): मैं अपने संशोधनों को पराजय के दुर्भाग्य से बचाना चाहता हूं: अत: मैं उन सबको वापस लेना चाहता हूं।

श्री जसपतराय कपूर के सारे संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

***अध्यक्ष:** फिर प्रोफेसर शाह का संशोधन संख्या 203 है

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 5 के खंड (क) में, 'Grand parents' शब्द के पश्चात 'on the paternal side' ये शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 5 के खंड (ख) में, 'Grand parents' शब्द के पश्चात 'on the paternal side' ये शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 में–

(1) '5' अंक के पश्चात् कोष्ठक और संख्या '(1)' प्रविष्ट किये जाये;

(2) व्याख्या के पूर्व निम्न परन्तुक जोड़ दिये जायें:

'Provided further that the nationality by birth of any citizen of India shall not be affected in any other country whose Municipal Law permits the local citizenship of that country being acquired without prejudice to the nationality by birth of any of the citizens; and

Provided that where under the Municipal Law no citizen is compelled either to renounce his nationality by birth before acquiring the citizenship of that country, or where under the Municipal Law nationality by birth of any

[अध्यक्ष]

citizen does not cease automatically on the acquisition of the citizenship of that country.'

[परन्तु यह भी कि भारत के नागरिक की जन्मजात राष्ट्रीयता पर किसी अन्य देश में प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी राष्ट्रीय विधि उस नागरिक की जन्मजात राष्ट्रीयता का विरोध किये बिना उसे उस देश की स्थानीय नागरिकता अर्जन करने देती है;

परन्तु जहां राष्ट्रीय विधि के अधीन किसी नागरिक को उस देश की नागरिकता अर्जन करने के पूर्व अपनी जन्मजात राष्ट्रीयता को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, अथवा जहां राष्ट्रीय विधि के अधीन किसी नागरिक की जन्मजात राष्ट्रीयता उस देश की नागरिकता अर्जन करने पर अपने आप ही समाप्त नहीं हो जाती है।]

(3) व्याख्या के पश्चात् निम्न नया खंड जोड़ दिया जाये:

'(2) Subject to this Constitution' Parliament shall regulate by law the grant or acquirement of the citizenship of India.' "

(2) इस संविधान के अधीन, संसद विधि द्वारा भारत की नागरिकता की मंजूरी अथवा अर्जन विनियमित कर सकेगी।

संशोधन अस्वीकार हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 6 में अनुच्छेद 5 के नये प्रस्थापित खंड (2) के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'Provided that Parliament shall not accord equal rights of citizenship to the nationals of any country which denies equal treatment to the nationals of India settled there and desirous of acquiring the local citizenship.' "

[पर संसद किसी भी उस देश के नागरिक को नागरिकता के समानाधिकार नहीं देगी जो देश अपने यहां बसे हुए भारत के नागरिकों को, जो वहां की स्थानीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, समव्यवहार से वंचित करता है।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** तत्पश्चात् हम प्रो. के.टी. शाह के संशोधन संख्या 20 पर आते हैं। मेरे विचार में यह लगभग मस्विदा संबंधी है। क्या इसे मस्विदा समिति पर छोड़ा जा सकता है?

***एक माननीय सदस्य:** हां।

***अध्यक्ष:** फिर मैं इस संशोधन पर विचार करने का कार्य मस्विदा समिति पर छोड़ देता हूं।

संशोधन संख्या 152। प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन 1 में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 5-क के खंड (ख) के उप-खंड (1) के अन्त में 'and' शब्द के पहले निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'Provided that any person who has so migrated to the areas now included in Pakistan, but has returned from that area to the territory of India since the nineteenth day of July 1948, shall produce such evidence, documentary or otherwise, as may be deemed necessary to prove his intention to be domiciled in India and reside permanently there.'"

[परन्तु कोई व्यक्ति जो उन क्षेत्रों में इस प्रकार प्रव्रजन कर गया हो जो अब पाकिस्तान के अंतर्गत हैं और उन क्षेत्रों में 19 जुलाई सन् 1948 तक भारत के राज्य क्षेत्र में वापस आ गया हो तो वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जो लेख्य संबंधी हों अथवा अन्य प्रकार के हों और जो भारत में निवास करने और स्थायी रूप से बसने के उसके उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए आवश्यक समझे जायें।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 5 के खंड (ग) के अन्त में, 'and subject to the jurisdiction thereof' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** तत्पश्चात् प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना का संशोधन संख्या 12 है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रांत: जनरल): मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति मांगता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, लौटा लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों में संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 5 के खंड (ग) में 'पांच वर्ष' इन शब्दों के स्थान पर 'दस वर्ष' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क में 'notwithstanding anything' शब्दों से लेकर 'at the date of commencement of this Constitution if' तक के शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें:

'Notwithstanding ' anything contained in article 5 of this Constitution a person who on account of civil disturbances or the fear of such disturbances—

(a) having the domicile of India, as defined in the Government of India Act, 1935, and being resident in India before the partition, has decided to reside parmanently in India; or

(b) has migrated to the terriroty of India from the territory now included in Pakistan; shall be deemed to be a citizen of India at the date of the commencement of this Constitution if.' "

[इस संविधान के अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो असैनिक उपद्रव के कारण अथवा ऐसे उपद्रव से भयभीत होकर–

(क) 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित रीति के अनुसार भारत में अधिवास करता हुआ और विभाजन के पूर्व भारत में निवास करता हुआ है और उसने भारत में स्थायी रूप से निवास करना निश्चित कर लिया है; अथवा

(ख) पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्यक्षेत्र से भारत राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है;

इस संविधान के आरंभ की तारीख पर भारत का नागरिक समझा जायेगा, यदि]"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के अन्त में निम्न शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें:

'Or if he has before the date of commencement of this Constitution unequivocally declared his intention of acquiring the domicile of India by permanent residence in the territory of India or otherwise and established such intention to the satisfaction of the authority before whom the question of his citizenship arises.' "

[अथवा यदि इस संविधान के आरम्भ की तारीख से पूर्व उसने भारत के राज्य-क्षेत्र में स्थायी निवास द्वारा या अन्यथा भारत में अधिवास करने के उद्देश्य की असंदिग्ध रूप से घोषणा कर दी है और उस अधिकारी के संतोषप्रद रूप में इस उद्देश्य को सिद्ध कर दिया है जिसके समक्ष उसकी नागरिकता का प्रश्न उठता है]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 4 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 131 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-कक के प्रस्थापित नये परन्तुक में–

(1) 'nothing in this article shall apply to' शब्दों को अपमार्जित कर दिया जाये;

(2) 'or permanent return' इन शब्दों को अपमार्जित कर दिया जाये; और

(3) 'and every such person shall' शब्दों से लेकर 'nineteenth day of July, 1948' तक शब्दों के स्थान में निम्न शब्द रख दिये जायें:

'shall be entitled to count his period of residence after the nineteenth day of July, 1948, in the territory of India in the period required for qualification for naturalisation or acquisition of citizenship under any law made by Parliament.' "

[संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन देशीयकरण अथवा नागरिकता अर्जन करने का अर्हता के लिये अपेक्षित कालावधि में जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन के बाद के भारत राज्य-क्षेत्र में अपने निवास करने के काल की गणना करने का हक होगा।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 4 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 131 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के प्रस्थापित परन्तुक में:

(1) 'nothing, in this article shall apply' इन शब्दों को अपमार्जित कर दिया जाये;

(2) 'and every such person shall' इन शब्दों से लेकर 'nineteenth day of July 1948' शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें:

[अध्यक्ष]

'shall be eligible for citizenship by naturalisation if he fulfils the condition laid down by law and his permit shall be liable to be cancelled on the grounds on which under the law relating to naturalisation the certificate of naturalisation can be cancelled.' "

[यदि वह विधि द्वारा निर्धारित शर्त को पूरा करता है तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता का पात्र होगा और देशीयकरण संबंधी विधि के अधीन जिन आधारों पर देशीयकरण का प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है उन आधारों पर उसका प्रमाणपत्र रद्द भी किया जा सकेगा।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्षः प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख में 'any person' शब्दों के पश्चात् 'having his domicile in the territory of India' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्षः प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख में 'whether before or after' इन शब्दों के स्थान में 'before' शब्द रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्षः प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख में अन्त के शब्द 'or the Government of India' अपमार्जित कर दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्षः प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'Provided he has not abandoned his domicile by migrating to Pakistan after 1.4.1947 of acquired after leaving India the citizenship of any other State.' "

[परन्तु यदि उसमें 1 अप्रैल 1947 के पश्चात् पाकिस्तान में प्रव्रजन कर अपने अधिवास का परित्याग न किया हो अथवा भारत छोड़कर किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क में 'deemed to be' ये शब्द अपमार्जित कर दिये जायें''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** फिर संशोधन संख्या 123 है।

***श्री बी.पी. झुनझुनवाला** (बिहार : जनरल): श्रीमान, मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 150 भी आपके नाम से है।

***श्री बी.पी. झुनझुनवाला:** मैं उसे भी वापस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

***अध्यक्ष:** तत्पश्चात् हम श्री एस. नागप्पा के संशोधन संख्या 21 को लेते हैं।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): डॉ. अम्बेडकर ने इस संशोधन को स्वीकार करने की सहमति अभिवक्त कर दी है, श्रीमान्।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** सारी चीज को देखकर हम इस पर विचार करेंगे, यदि भाषा ठीक है।

***अध्यक्ष:** यह रचना संबंधी ही है कुछ और नहीं। अत: यह मस्विदा समिति पर छोड़ दिया जाता है।

प्रश्न यह है–

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 4 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 131 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-कक के प्रस्थापित परन्तुक को हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के खंड (ख) के उप खंड (2) में 'before' शब्द के पश्चात् 'or after' शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ग के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'इस विषय में संसद जो विधि पारित करे उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती उपबन्धों में उल्लिखित नागरिकता की अर्हताऐं यथा स्थिति उन लोगों पर भी लागू होंगी जो कि इस संविधान के आरम्भ के पश्चात् नागरिकता के हकदार हों।' "

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार में सब संशोधन समाप्त हो गये। मैं अब डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित मूल प्रस्थापना पर मत लूंगा। क्या इसे पढ़ना आवश्यक है?

***कई माननीय सदस्य:** नहीं, आवश्यक नहीं।

***श्री जसपतराय कपूर:** अध्यक्ष महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं श्रीमान, कि डॉ. अम्बेडकर तथा श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के नाम से अन्य संशोधन भी हैं और उन्हें भी संशोधनों के रूप में ही लिया जाये।

***अध्यक्ष:** मैं एक ही प्रस्थापना पर मत ले रहा हूं जिसमें सारे संशोधन इकट्ठे कर दिये गये हैं।

***श्री जसपतराय कपूर:** उस संबंध में, मुझे एक निवेदन करना है। श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के संशोधन संख्या 132 के विषय में मैं श्री कृष्णमाचारी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस समय वापस लेकर बाद में मस्विदा समिति के पास भेजने की बात पर विचार करें। अभी इसे छोड़ दिया जाये और मस्विदा समिति के पास भेज दिया जाये जो इन शब्दों के अपमार्जन करने की वांछनीयता या अन्यथा पर विचार करे।

***अध्यक्ष:** यदि यह रचना संबंधी ही है तो मस्विदा समिति को सदा शक्ति है। यदि यह सारवान प्रश्न है तो इसे मस्विदा समिति पर छोड़ा नहीं जा सकता।

***श्री जसपतराय कपूर:** यदि संशोधन संख्या 132 को अभी स्वीकार कर लिया जाता है तो मस्विदा समिति के हाथ बंध जायेंगे। मैं समझता हूं कि श्री टी.टी. कृष्णमाचारी को स्वयं इन शब्दों को रखने के औचित्य या अन्यथा के विषय में सन्देह है।

***अध्यक्ष:** श्री टी.टी. कृष्णमाचारी बतायेंगे कि उन्हें इस संशोधन के औचित्य पर कोई संदेह है या नहीं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान, मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि मेरा संशोधन अनुच्छेद 6 के शब्दों में संशोधन के कारण आवश्यक हो गया है। यदि अपेक्षित हुआ तो इस मामले पर निस्संदेह और विचार किया जायेगा। मैंने केवल यही कहा था कि मैं श्री जसपतराय कपूर के विचारों को मस्विदा समिति के समक्ष पेश कर दूंगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे इस विषय में कोई संदेह है। हमने इस आकस्मिकता के लिये अनुच्छेद 6 में उपबन्ध कर दिया है। अपने लिये मैं कह सकता हूं कि मैं सब अनुच्छेदों 5, 5-क, 5-कक, 5-ख, 5-ग और 6 के प्रत्येक शब्द पर स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिये तैयार हूं।

***अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर मत लेता हूं, अनुच्छेद 5 तथा 6 पर, जिनमें अनुच्छेद 5-क, 5-कक, 5ख और 5-ग समाविष्ट हैं।

प्रश्न यह है:-

"कि अनुच्छेद 5 और 6 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिये जायें:

Citizenship at the date of commencement of this Constitution.

'5. At the date of commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India—

(a) who was born in the territory of India; or

(b) either of whose parents was born in the territory of India; or

(c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding the date of such commencement, shall be a citizen of India, provided that he has not voluntarily acquired the citizenship of any foregin State.

Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan.

'5-A. Notwithstanding anything contained in article 5 of this Constitution a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the date of commencement of this Constitution if—

[अध्यक्ष]

(a) he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted); and

(b) (i) in the case where such person has so migrated before the nineteenth day of July 1948, he has ordinarily resided within the territory of India since the date of his migration, and

(ii) in the case where such person has so migrated on or after the nineteenth day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in this behalf by the Government of the Dominion of India on an application made by him therefore to such officer before the date of commencement of this Constitution in the form prescribed for the purpose by that Government:

Provided that no such registration shall be made unless the person making the application has resided in the territory of India for at least six months before the date of his application.

Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan.

5-AA. Notwithstanding anything contained in articles 5 and 5-A of this Constitution, a person who has after the first day of March 1947, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India:

Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement or parmanent return issued by or under the authority of any law and every such person shall for the purposes of clause (b) of article 5-A of this Constitution be deemed to have migrated to the territory of India after the nineteenth day of July 1948.

Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.

5-B. Notwithstanding anything contained in articles 5 and 5-A of this Constitution, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted) and who is ordinarly residing in any territory outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic or consular respesentative, whether before or after the commencement of this Constitution, in the from prescribed for the purpose by the Government of the Dominion of India or the Government of India.

Continuance of the rights of citizenship.

5-C. Every person who is a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Parliament to regulate the right of citizenship by law.

6. Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogated from the power of Parliament to make any provision with respects to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.' "

इस संविधान के प्रारम्भ की तारीख पर नागरिकता।

[5. इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस का भारत राज्य क्षेत्र में तथा अधिवास है, तथा

(क) जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था; अथवा

(ख) जिसके जनकों में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था; अथवा

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ की तारीख से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है;

भारत का नागरिक होगा, परन्तु उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वयं अवाप्त न की होनी चाहिये।

[अध्यक्ष]

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर आये कुछ व्यक्तियों से नागरिकता के अधिकार

5-क. अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान के इस सयम अन्तर्गत राज्य क्षेत्र से भारत राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है इस संविधान के प्रारम्भ की तारीख पर भारत का नागरिक समझा जायेगा–

(क) यदि वह अथवा उसके जनकों में से कोई अथवा उसके महा जनकों में से कोई भारत सरकार के अधिनियम 1935 (यथा मूलत: अधिनियमत) में परिभाषित भारत में जन्मा था; तथा

(ख) (1) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन् 1948 की जुलाई के उन्नीसवें दिन से पूर्व प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है; अथवा

(2) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन् 1948 की जुलाई की उन्नीसवें दिन या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह भारत डोमिनीयन की सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन पत्र के अपने द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ की तारीख से पहिले ऐसे पदाधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया है, दिये जाने पर उस पदाधिकारी द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन पत्र की तारीख से ठीक पहिले कम से कम छह महीने भारत राज्य क्षेत्र का निवासी न रहा हो तो वह इस प्रकार पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा।

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों के नागरिकता के अधिकार

5-कक. इस संविधान के अनुच्छेद 5 और 5-क में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1947 के मार्च के पहिले दिन के पश्चात् भारत राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन कर गया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा:

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन के पश्चात भारत राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गई है, तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति इस संविधान के अनुच्छेद 5(क) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये भारत राज्य क्षेत्र को 1948 की जुलाई के 19वें दिन के पश्चात प्रव्रजन करने वाला समझा जायेगा।

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

5-ख. इस संविधान के अनुच्छेद 5 और 5(क) में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके जनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई भारत सरकार के अधिनियम, 1935 (यथा मूलत: अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यतया इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर

किसी देश में रहता है, भारत का नागरिक समझा जायेगा, वह भारत डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन पत्र के अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ से पहले या बाद, दिये जाने पर, ऐसे राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है।

5-ग. नागरिकता के आधिकारों का बना रहना

प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है, ऐसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा निर्मित की जाये, भारत का वैसा नागरिक बना रहेगा।

6. संसद विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन करेगी

इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधित रूप से अनुच्छेद 5, 5-क, 5-कक, 5-ख, 5-ग और 6 संविधान के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 5, 5-क, 5-कक, 5-ख, 5-ग और 6 संविधान में जोड़ दिये गये।

***अध्यक्ष:** अब सभा आगामी बृहस्पतिवार तक स्थगित हो रही है। नियमों के अनुसार यदि तीन दिन से अधिक स्थगन होना हो तो सदन की अनुमति आवश्यक है। यह स्थगन पांच दिन के लिये है, और मैं मान लेता हूं कि सदन अनुमति देता है।

***माननीय सदस्यगण:** हां।

***अध्यक्ष:** अब सभा आगामी बृहस्पतिवार के नौ बजे तक के लिए स्थगित होती है।

***श्री श्यामानन्दन सहाय** (बिहार: जनरल): क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं, श्रीमान, कि 18 को हम मध्याह्नन्तर में समवेत हों क्योंकि कुछ गाड़ियां विलम्ब से आती हैं?

***अध्यक्ष:** मुझे वैयक्तिक रूप में कोई आपत्ति नहीं है, यदि यह सदस्यों की इच्छा हो। क्या सदन की यह व्यापक इच्छा है?

***माननीय सदस्यगण:** हां।

***अध्यक्ष:** सभा आगामी बृहस्पतिवार के मध्याह्नन्तर के 3 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, 18 अगस्त के मध्याह्नन्तर के 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।